



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052021-227095
CG-DL-E-19052021-227095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2021/वैशाख 29, 1943

No. 154]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2021/VAISAKHA 29, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 19 मई, 2021

मामला संख्या: एडीडी-ओआई 11/2020

विषय: चीन जन. गण., इंडोनेशिया, कोरिया गण. और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “थैलिक एनहाइड्राइड” (पी ए एन) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/16/2020 – डी जी टी आर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

- आई जी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एस आई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटेड (इसके बाद इसे “आवेदक” के रूप में भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसे बाद इसे “अधिनियम” के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे “पाटनरोधी नियमावली” अथवा “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार

थैलिक एन्हाइडाइड (इसके बाद इसे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पी यू सी” अथवा “संबद्ध वस्तुएं” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई दिनांक 21 मई, 2020 की अधिसूचना सं. 13/2020 – डी जी टी आर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण हो सके और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :-

- क. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को उपरोक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्यवाही शुरू करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में सूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 21 मई, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और साथ ही अन्य घरेलू उत्पादकों के माध्यम से आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया।
- घ. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा संबद्ध देशों की सरकार को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार, आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति आवश्यकता के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रदान की गई।
- ङ. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार सूचना की प्रति भी प्रेषित की और उनसे जांच शुरू करने की अधिसूचना में दी गई समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए उनके देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को परामर्श देने का भी अनुरोध किया गया। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावासों को भेजी गई।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी :
 - i. अनहुई टोंगलिंग केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि., चीन जन. गण.
 - ii. जियांशू सन्मू ग्रुप कं. लिमि., चीन जन. गण.
 - iii. शंघाई कूकिंग एंड केमिकल कॉर्पोरेशन, चीन जन. गण.

- iv. सी ट्रेड इंटरनेशनल इंक., चीन जन. गण.
 - v. झेजियांग यूनियन केमिकल इंडस्ट्री कं., लिमि., चीन जन. गण.
 - vi. तेजु यूनियन केमिकल इंडस्ट्री, कं., लिमि., चीन जन. गण.
 - vii. पेट्रोविट्टा इण्डोनेशिया
 - viii. पी टी वर्ल्डवाइड रेसिंस एंड केमिकल्स, इण्डोनेशिया
 - ix. ए. जी. पेट्रोकेमिकल कं. लिमि., साउथ कोरिया
 - x. ऐकयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमि., साउथ कोरिया
 - xi. हुमेड कॉर्पोरेशन, साउथ कोरिया
 - xii. रेस्टार कॉर्पोरेशन, साउथ कोरिया
 - xiii. पोलमेक कं. लिमि., साउथ कोरिया
 - xiv. एशिया केमिकल कं. लिमिटेड, थाईलैण्ड
 - xv. मेथिल कं. लिमि., थाईलैण्ड
 - xvi. ट्रॉय सियाम कं., लिमि., थाईलैण्ड
 - xvii. नन या प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, थाईलैण्ड
 - xviii. यूनियन केमिकल इंड कं. लिमि., थाईलैण्ड
 - xix. यू पी सी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, थाईलैण्ड
- ज. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित विदेशी उत्पादकों और उनके संगत निर्यातकों/ व्यापारियों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :-
- i. हनव्हा सोल्यूशन कॉर्पोरेशन, प्रोज्यूशर, कोरिया जन. गण.
 - ii. एवरलाइट कोरिया लिमि. एक्सपोटर, कोरिया जन. गण.
 - iii. मिनजिन कॉर्पोरेशन लिमि. एक्सपोटर, कोरिया जन. गण.
 - iv. ऐकयंग पेट्रोकेमिकल, प्रोज्यूसर, कोरिया जन. गण.
 - v. केनको मार्केटिंग इंक, एक्सपोटर, कोरिया जन. गण.
 - vi. हुमेड कॉर्पोरेशन, एक्सपोटर, कोरिया जन. गण.
 - vii. हून्डेई कॉर्पोरेशन, एक्सपोटर, कोरिया जन. गण.
 - viii. पोलिकेम एशिया कं. लिमि., एक्सपोटर, कोरिया जन. गण.
 - ix. रेस्टार कॉर्पोरेशन, एक्सपोटर, कोरिया जन. गण.
 - x. पी टी पेट्रोविट्टा, प्रोज्यूशर, इण्डोनेशिया
 - xi. पी टी पेट्रोनिका, एक्सपोटर, इण्डोनेशिया

- xii. कॉटिनेंटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैण्ड) कं. लिमि., प्रोज़्युशर, थाईलैण्ड
- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी :-
- i. के एल जे प्लास्टिजर्स लिमि.
 - ii. मज़दा कलर्स लिमि.
 - iii. पी सी एल ऑयल एंड सोल्वेंट्स लिमि.
 - iv. लोना इंडस्ट्रीज लिमि.
 - v. सिलवासा प्लास्ट
 - vi. आरती इंडस्ट्रीज लिमि.
 - vii. मेकेमो इंडस्ट्रीज लिमि.
 - viii. रचना प्लास्टिजर्स लिमि.
 - ix. माइक्रो लिंक्स लिमि.
 - x. फथालो कलर्स एंड केमिकल्स (इं.) लिमि.
 - xi. रमनिकलाल एस. गोसला एंड कं. नेशनल लिमि.
 - xii. हेबच कलर्स प्रा. लिमि.
 - xiii. सनमन ट्रेड इम्पेक्स प्रा. लिमि.
 - xiv. पेट्रोकेम मिडल ईस्ट (इंडिया) प्रा. लिमि.
 - xv. एमजेय केमिकल्स प्रा. लिमि.
 - xvi. ए-वन चर्न ट्रेड प्रा. लिमि.
 - xvii. संजय केमिकल (इंडिया) प्रा. लिमि.
 - xviii. हेजेल मर्केटाइल लिमि.
- ज. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किये हैं :-
- i. के एल जे प्लास्टिजर्स लिमि.
 - ii. पायल पोलिप्लास्ट प्रा. लिमि.
- ट. इसके अलावा, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की अवधि के दौरान विधिक अनुरोध दाखिल किए हैं :-
- i. इण्डोनेशिया गर्वमेंट
 - ii. इंडियन प्लाटिसाइजर्स मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन
 - iii. संदीप ऑर्गेनिक प्रा. लिमि.
 - iv. पोलिएस्टर रेज़िन मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन

- ठ. निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है अथवा इस जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान नहीं की, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना के, गोपनीय दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। इस पर संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में विचार किया गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।
- ढ. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी और साथ ही उनसे सभी से यह अनुरोध किया गया था कि सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों के अगोपनीय पाठ की प्रति ईमेल करें, क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के चलते सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से सुलभ नहीं थी।
- ण. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 (पी ओ आई) विचार की गई है। क्षति जांच की अवधि को अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017, अप्रैल 2017 से मार्च, 2018 और अप्रैल, 2018 से मार्च 2019 तथा जांच की अवधि के रूप में विचार किया गया है।
- त. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त/ अनुपूरक सूचना मांगी गई थी। जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे जाने पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए डेटा का डेस्क सत्यापन किया गया।
- थ. गैर क्षतिकारी कीमत (एन आई पी) सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-111 के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और निर्माण व बिक्री की लागत पर आधारित है। यह आकलन इसलिए किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- द. विगत तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए सौदा-वार आयात के डेटा के संबंध में वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त की गई सूचना को भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार किया गया है।
- ध. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 17 मार्च, 2021 को हुई मौखिक सुनवाई में अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया, जिसमें विभिन्न पक्षकारों द्वारा भाग लिया गया था। मौखिक सुनवाई कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए की गई थी। ऐसे सभी पक्षकार, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया, उन्हें मौखिक रूप से व्यक्त अनुरोधों को लिखित में दाखिल करने और उसके बाद रिज्वाइंडर यदि कोई हो, दाखिल करने का परामर्श दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए ऐसे लिखित अनुरोधों और/ अथवा रिज्वाइंडर में किए गए तर्कों पर इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार विचार किया गया है।
- न. इन जांच की अवधियों के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर, जो संगत पाए गए, इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
- प. जहां कहीं भी एक हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान करने से इंकार किया है अथवा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों को दर्ज किया है।

- फ. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 7 मई, 2021 के प्रकटीकरण विवरण के तहत ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत पाए जाने पर, उन्हें इन जांच परिणामों में शामिल किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत किए गए अधिकांश अनुरोध उनके पूर्व किए गए अनुरोधों की मात्रा पुनरावृत्ति है। तथापि, प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध, जहां तक ये संगत पाए गए, अंतिम जांच परिणामों में उनकी जांच की जा रही है।
- ब. इस अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और इस नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
- भ. प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध जांचों के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरू किए जाने की अवस्था में विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था :

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “थैलिक एनहाइड्राइड” (पेन) है। “थैलिक एनहाइड्राइड” (पेन) थैलिक एसिड का एक एनहाइड्राइड है और इसका वाणिज्यिक रूप से उत्पादन आर्थो-जाइलिन अथवा नेफथालिन का उत्प्रेरक ऑक्सीडेशन द्वारा किया गया जाता है। यह एक रंगरहित ठोस पदार्थ है जिसे विभिन्न रूप में थैलिक एनहाइड्राइड फ्लेक्स, थैलिक एनहाइड्राइड (98 प्रतिशत न्यूनतम), थैलिक एसिड एंड हाइड्रस, थैलिक एनहाइड्राइड (99.8 प्रतिशत न्यूनतम) आदि कहा जाता है। थैलिक एनहाइड्राइड के विनिर्देशों में इसकी भौतिक दिखावट, ठोस फ्लेक्स का रंग, गले हुए उत्पाद का रंग, ठोस बनाने का बिंदु, वजन से थैलिक एनहाइड्राइड की मात्रा, अन्य एनहाइड्राइड और वजन से ऑर्गेनिक मिलावट की मात्रा और एसिडिटी सूचकांक शामिल है।”

विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 और उप शीर्ष 29173500 के तहत वर्गीकृत है। वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. विचाराधीन उत्पाद थैलिक एनहाइड्राइड है, जो आर्थो-जाइलेन अथवा नेफथलीन के केटेलिटिक ऑक्सीडेशन द्वारा उत्पादित है। इस उत्पाद का उपयोग थैलिक एस्टर्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो प्लास्टिसाइजर के रूप में कार्य करता है और इसीलिए प्लास्टिक उद्योग में एक महत्वपूर्ण रासायनिक मध्यवर्ती है।
- ख. उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क शीर्ष 29173500 के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं आयातित वस्तुओं के समान वस्तु है क्योंकि वे भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है तथा तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में कोई भी ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- घ. बायो सक्सीनिक एसिड केवल सक्सीनिक एसिड के लिए एक विकल्प है। सक्सीनिक एसिड से निर्मित है और इसका विचाराधीन उत्पाद से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है।
- ङ. विचाराधीन उत्पाद का मोल्टन रूप घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

- च. नेपथलीन से थैलिक एनहाइड्राइड का उत्पादन टोक्सिटी स्तरों के कारण भारत में नहीं होता। घरेलू उद्योग आर्थोजाइलीन का उपयोग करके थैलिक एनहाइड्राइड का उत्पादन कर रहा है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :

- क. यदि बायो सक्सीनिक एसिड का उपयोग विचाराधीन उत्पाद के एक विकल्प के रूप में किया जा सकता है तो जांच आवश्यक है।
- ख. संबद्ध देशों में उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के मोल्टन रूप का भी निर्माण कर सकते हैं।
- ग. विचाराधीन उत्पाद पर आधारित आर्थोजाइलीन के लिए मांग अत्यधिक है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और उन पर यहां विचार किया गया है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद थैलिक एनहाइड्राइड है, जो कि प्लास्टिक उद्योग के लिए एक मध्यवर्ती रसायन है।

8. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद पर इस प्रकार से विचार किया है :-

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “थैलिक एनहाइड्राइड” (पेन) है। “थैलिक एनहाइड्राइड” (पेन) थैलिक एसिड का एक एनहाइड्राइड है और इसका वाणिज्यिक रूप से उत्पादन आर्थो-जाइलिन अथवा नेफथालिन का उत्प्रेरक ऑक्सीडेशन द्वारा किया गया जाता है। यह एक रंगरहित ठोस पदार्थ है जिसे विभिन्न रूप में थैलिक एनहाइड्राइड फ्लेक्स, थैलिक एनहाइड्राइड (98 प्रतिशत न्यूनतम), थैलिक एसिड एंड हाइड्रस, थैलिक एनहाइड्राइड (99.8 प्रतिशत न्यूनतम) आदि कहा जाता है। थैलिक एनहाइड्राइड के विनिर्देशों में इसकी भौतिक दिखावट, ठोस फ्लेक्स का रंग, गले हुए उत्पाद का रंग, ठोस बनाने का बिंदु, वजन से थैलिक एनहाइड्राइड की मात्रा, अन्य एनहाइड्राइड और वजन से ऑर्गेनिक मिलावट की मात्रा और एसिडिटी सूचकांक शामिल है।”

विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 और उप शीर्ष 29173500 के तहत वर्गीकृत है। वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

9. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों तथा उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, विवरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों को बदल-बदल कर प्रयोग किया है और बदल-बदल कर प्रयोग कर रहे हैं। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

10. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- क. आवेदकों के उत्पादन में भारत में समग्र उत्पादन शामिल हैं।
- ख. भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य उत्पादक था, एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड, जिसने जुलाई, 2017 में स्थायी रूप से अपने संयंत्र बंद कर दिये हैं।
- ग. आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया गया है और ये संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक से संबद्ध नहीं है।
- घ. आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

12. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

13. यह आवेदन आई जी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एस आई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और तिरुमलाई कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। एशियन पेंट्स लिमिटेड ने वर्ष 2017 में अपना संयंत्र बंद कर दिया है और भारत में संबद्ध वस्तुओं का अन्य कोई उत्पादक मौजूद नहीं है। आवेदकों के संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक अथवा संबद्ध देश में किसी निर्यातक से संबद्ध नहीं है।

14. तदनुसार, प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग हैं और यह कि आवेदन नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड विविध अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- क. सभी प्रतिवादी निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीय का दावा किया है। उत्पादकों ने कुछ प्रश्नों के उत्तरों के पूरी तरह गोपनीय होने का दावा किया है और इसके लिए कोई सार्थक सार प्रदान नहीं किया है।
- ख. प्रतिवादी निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं। ऐक्यंग पेट्रोकेमिकल्स कं. लिमि. ने बिक्रियों की लागत, बिक्री की कीमत और पीवीआईटी प्रति यूनिट के संबंध में विगत तीन वर्षों के लिए डेटा की प्रवृत्ति प्रदान नहीं की है।
- ग. पीटी पेट्रोविडाडा, पीटी पेट्रोनिक् और कांटीनेंटल पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमि. ने जांच की अवधि और विगत तीन वर्षों 2016, 2017 और 2018 के लिए डेटा प्रदान किए हैं लेकिन जनवरी, 2019 से मार्च 2019 तक की अवधि के डेटा उत्तर से गायब है।
- घ. प्रतिवादियों द्वारा अप्रैल – मार्च आधार पर डेटा प्रदान किए जाने चाहिए लेकिन जनवरी – दिसंबर आधार पर प्रदान किए गए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से प्राप्त ऐसे डेटा को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- ड. मिनजिन कार्पोरेशन और एवरलाइट कोरिया कं. लिमि. ने परिशिष्ट-1 में अधिकांश सूचना गोपनीय होने का दावा किया है।
- च. थिरुमलाई कैमिकल्स लिमि. 120,000 मी. टन के साथ अपनी क्षमता का विस्तार कर रही है, जिसमें से करीब 24,000 मी. टन के एक संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। आई जी पेट्रोकेमिकल्स लिमि. ने अपनी क्षमता में 53,000 मी. टन क्षमता का विस्तार किया है और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। मैसर्स के एल जे प्लास्टिसाइजर्स लिमि. भी 200 के टी का एक नया संयंत्र स्थापित कर रही है।

- छ. भारत में क्षमता विस्तार पूरा हो जाने पर, कम से कम अगले कुछेक वर्षों के लिए भारत में क्षमता भारत में अनुमानित मांग से काफी अधिक होगी और भारत को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा।
- ज. आवेदक किसी भी प्रकार से शुल्क की मांग नहीं कर रहे हैं, जिससे कानून के तहत दोहरा लाभ मिलेगा। यदि क्षति मार्जिन द्विपक्षीय उपायों से अधिक है तो पाटनरोधी शुल्क केवल अंतर के बराबर के मार्जिन के लिए लगाया जाना चाहिए। यदि निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन द्विपक्षीय उपायों से कम है, तो प्राधिकारी द्विपक्षीय उपायों के लागू होने तक कोरिया गणराज्य से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना विलंबित करने पर विचार कर सकते हैं।
- झ. नियमों में प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजन से क्षति मार्जिन का उपयोग करना अपेक्षित नहीं है। प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बीच शुल्क की सिफारिश कर सकते हैं। यहां तक कि अनुबंध- III में भी यह प्रावधान नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क एन आई पी और आयातों की पहुंच कीमत के बीच अंतर होगा। प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या वर्तमान नियम अधिकतम क्षति मार्जिन वाले माह के लिए शुल्कों पर विचार करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- ञ. प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधित्व के अंश पर शुल्कों के प्रभाव के संबंध में किसी भी तर्क की जांच करने से पूर्व विचार किया जाना चाहिए। केवल दो प्रयोक्ताओं ने ही वर्तमान जांच में प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं। यह तथ्य कि केवल दो प्रयोक्ताओं ने भाग लिया, यह दर्शाता है कि अंतिम प्रयोक्ताओं पर शुल्कों का न्यूनतम प्रभाव पड़ा है।
- ट. जब तक प्रयोक्ता शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को स्थापित नहीं कर देते, प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव पर किसी अनुरोध पर विचार न करें।
- ठ. भारत में संबद्ध वस्तुओं के 3 उत्पादक हैं और इसीलिए घरेलू उद्योग को परस्पर और सभी स्रोतों से आयातों को पूरा करना अपेक्षित होगा। अतः घरेलू उद्योग के एकाधिकार की संभावना को नकारा जा सकता है।
- ड. विगत में विचाराधीन उत्पाद पर विविध व्यापार उपचारी जांच की गई है, जहां शुल्क लगाए गए हैं। तथापि, प्रयोक्ता उद्योग कभी भी यह प्रमाणित करने में समर्थ नहीं रहा कि शुल्कों को लगाने से उपभोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- ढ. यहां तक कि संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाने के बाद भी मांग में वृद्धि हुई है और प्रयोक्ताओं पर प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रयोक्ता शुल्कों, यदि कोई हो, के किसी प्रतिकूल प्रभाव को प्रमाणित करने में समर्थ नहीं रहे हैं।
- ण. सार्वजनिक हित केवल उपभोक्ता उद्योग तक ही सीमित नहीं है और यह वास्तव में काफी व्यापक है, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग का क्षेत्र भी शामिल है।
- त. भारतीय उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के लिए भारी पूंजीगत निवेश किया है और यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है और पाटन जारी रहते हैं तो इससे उद्योग में किए गए सभी निवेशों पर भारी हानि होगी।
- थ. आयात को रोकने के अनुरोध पर, यह अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क अथवा रक्षोपाय शुल्क सभी पक्षकारों द्वारा अनुरोधों पर विचार करने के बाद एक पूरी अर्ध न्यायिक जांच करने के बाद लगाया गया है।
- द. किसी भी प्रकार का उपाय करने का आशय आयातों को रोकना नहीं है बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना है कि आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं, जो घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी नहीं हैं।

- ध. बी आई एस एक गुणवत्ता मानक हैं, जो सभी के लिए लागू है। प्रयोक्ताओं की ओर से यह कहना अत्यंत अनुचित है कि बी आई एस का प्रयोग बाजार में एकाधिकार के लिए किया जा रहा है, जब वे संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता के वास्तविक लाभार्थी होंगे।
- न. मांग और आपूर्ति अंतराल के कारण हो रहे आयातों के मामले के संबंध में, यह कहना है कि यद्यपि आवेदक मांग की 80 प्रतिशत के करीब पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन अभी भी उनका हिस्सा केवल 57 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। इसके अलावा मांग और आपूर्ति अंतराल पाटन को स्पष्ट कर सकता।
- प. गोपनीयता के मामले के संबंध में, यह कहना है कि संपूर्ण सूचना, जिस पर प्राधिकारी द्वारा क्षति जांच के लिए भरोसा किया गया है, वह प्रदान कर दी गई है। प्रतिवादियों को पहले यह स्थापित करना है कि क्या खरीद और बिक्री नीति का प्रकटीकरण न किए जाने के कारण यह पूर्वाग्रह है।
- फ. जहां तक सार्वजनिक हित का संबंध है, यह कहना है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाना निश्चय ही घरेलू उद्योग के हित में होगा क्योंकि पाटन घरेलू उद्योग को वस्तुओं को लाभकारी कीमतों पर बेचने से रोकता है। थैलिक एनहाइड्राइड के कम कीमत के आयातों के कारण विगत 20 वर्षों के दौरान विभिन्न उपाय किए गए हैं। तथापि, प्रयोक्ताओं को इन उपायों के कारण अप्रभावित रखा गया है क्योंकि उन्होंने अपने क्रेताओं को शुल्क अंतरित कर दिए हैं।
- ब. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क थैलेट उद्योग को अव्यवहार्य बना देंगे अतः प्रयोक्ताओं को ऐसे प्रयोक्ताओं की संख्या के संबंध में सूचना प्रदान करनी चाहिए, जिन्होंने विगत 20 वर्षों में अपने संयंत्र बंद किए हैं।
- भ. भारत में मांग आपूर्ति अंतराल के कारण आयात हो रहे थे और भारतीय प्रयोक्ताओं ने पहले ही भारतीय उत्पादकों की ओर रुख कर लिया है, जैसा कि टी सी एल द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- क. थैलिक एनहाइड्राइड (पी ए एन) निर्माता एक उत्पादक एक (कार्टेल) बना रहे हैं और विगत 20 वर्षों से या तो पाटनरोधी शुल्क के जरिए या रक्षोपाय शुल्क के जरिए आयातों को रोक रहे हैं। घरेलू उद्योग ने आयातों को रोकने के लिए विचाराधीन उत्पाद को अनिवार्य बी आई एस विनिर्देशन के तहत शामिल करा लिया है।
- ख. थैलिक एनहाइड्राइड (पी ए एन) निर्माताओं ने ग्राहक पूछताछ का उत्तर देना बंद कर दिया है अथवा बनावटी उच्च कीमतों का उल्लेख करना, प्रयोक्ताओं को आयात के लिए मजबूर करना और बाद में इसे संरक्षणात्मक शुल्कों की मांग करने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया है।
- ग. प्रयोक्ता उद्योग शून्य शुल्क दर के साथ आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से पेथलेट उद्योग अव्यवहार्य हो जाएगा। थैलिक एनहाइड्राइड के उत्पादक इनपुट पर कम आयात शुल्क के कारण 2.5 प्रतिशत का लाभ प्राप्त करते हैं।
- घ. उच्चतम न्यायालय ने बिहार बनाम कामेश्वर सिंह मामले में यह नोट किया है कि “सार्वजनिक हित” की व्याख्या में कोई ठीक परिमाण देने में सक्षम नहीं है और इसका कड़ा अर्थ नहीं है।
- ड. उच्चतम न्यायालय ने हरिदास एक्सपोर्ट्स बनाम ऑल इंडिया फ्लोट ग्लास मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन मामले में यह राय दी है कि भारत से बाहर ऐसी कीमतों पर वस्तुओं की उपलब्धता से, जो स्वदेशी रूप से उत्पादित है, भारतीय उद्योग के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप परस्पर प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी।

- च. घरेलू उद्योग एक ही क्षति के लिए दोहरा लाभ नहीं ले सकता क्योंकि कोरिया गणराज्य से थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों के कारण पहले ही द्विपक्षीय रक्षोपाय संबंधी उपाय किए गए हैं।
- छ. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति को पहले ही रक्षोपाय शुल्क लगाकर दूर कर लिया गया है।
- ज. आवेदन का अगोपनीय पाठ नियम 7 और व्यापार सूचना एं. 1/2013 में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है।
- झ. आवेदन के खंड VI के उत्तर के संबंध में भी पूर्ण गोपनीयता का दावा किया गया है।
- ञ. आवेदक देश में मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं और आयातों के कारण मांग व आपूर्ति अंतराल का होना है।
- ट. घरेलू उद्योग ने आयातों में बी आई एस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है लेकिन एन सी वी में इसका प्रकटीकरण नहीं किया है।
- ठ. विस्तृत विस्तार योजनाएं, लागत आदि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा अपने एन सी वी में उल्लेख नहीं किया गया है।
- ड. मिनजिन कार्पोरेशन और एवरलाइट ने व्यापार सूचना के तहत अपेक्षित ब्यौरे प्रदान किए हैं और व्यापारियों के रूप में इन कंपनियों के लिए यथा लागू सूचीबद्ध रूप में आवश्यक सूचना प्रदान की है।
- ढ. घरेलू उद्योग वास्तविक सूचना की पहचान करने में विफल रहा है, जिसके लिए हनवा ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और केवल अगोपनीय उत्तर संलग्न किया है।
- ण. हनवा इंटरनेशनल इंडिया और हनवा क्यू सेल्स कार्पो. भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के विपणन और बिक्री में शामिल नहीं है।
- त. यदि प्रयोक्ताओं को अपने मामलों को उठाना हो तो नियमों में कोई मार्गनिर्देश नहीं दिए गए हैं। प्रयोक्ताओं के विचारों का नियमों के तहत उतना ही सारांश है। यहां भाग ले रही एसोसिएशन कई प्रयोक्ताओं के हितों को प्रस्तुत करती है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

17. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर, इस प्रकार विचार किया है :-

- क. घरेलू उद्योग और अन्य प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों पर, जहां तक ये संगत पाए गए, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उन पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट हो जाने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार किया है, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपनी कारोबारी संवदेनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- ख. देश में मांग आपूर्ति अंतराल घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से निवारण चाहने से नहीं रोकता। मांग-आपूर्ति अंतराल पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता का विस्तार किया है। इसके अलावा, दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाने के लिए प्रदान किए गए हैं कि के एल जे प्लास्टिसाइजर्स लिमि. करीब 200 के टी की क्षमता स्थापित करने की प्रक्रिया में है। विदेशी उत्पादक प्रायः अपाटित कीमतों पर उत्पाद की बिक्री करके भारतीय मांग को पूरा करते हैं। यहां तक कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी देश में आयात रुक नहीं रहे। पाटनरोधी शुल्क लगाने से समय प्रतिस्पर्धा का वातावरण प्रदान होता है और बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को नहीं रोकता।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

18. अधिनियम की धारा 9 क (1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :-

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

घरेलू उद्योग का अनुरोध

19. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

- क. चीन के उत्पादकों के सामान्य मूल्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि उनकी कीमतों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतें नियमावली के नियम 7 के नियम 8 के प्रावधानों, एसेसन प्रोटोकॉल ऑफ चाइना के प्रावधानों और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत रूप से दर्शायी गई है।
- ख. पाटन की प्रक्रियाओं में तीसरे देशों की भागीदारी के कारण, वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य के प्रयोजन के लिए एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश को चुनना कठिन है। चीन के लिए सामान्य मूल्य पर भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत में एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करके विचार किया जा सकता है।
- ग. संबद्ध देशों में उत्पादकों की कीमतें गोपनीय सूचना होती हैं और इसीलिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं।
- घ. सीमा शुल्क डेटा के अनुसार, इण्डोनेशिया और कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में सूचना नहीं दी गई थी, थाइलैण्ड में संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में वे चीन और भारत से हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- ङ. इण्डोनेशिया से तीसरे देशों को निर्यात महत्वपूर्ण नहीं है और उन पर सामान्य मूल्य के लिए विचार किया जा सकता।
- च. संबद्ध देशों से विभिन्न देशों को निर्यात कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर निर्यात कीमतों को अविश्वसनीय बना देता है।
- छ. कुछ महीनों में पाटन मार्जिन औसत पाटन मार्जिन से काफी अधिक है।
- ज. कोरियाई कंपनियां विशेषकर ऐक्यंग पैट्रोकेमिकल कंपनी लिमि. अपनी कच्ची सामग्रियों की खरीद वर्षों से केवल एक ही स्रोत से कर रही है और कच्ची सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ किसी तरह की

- व्यवस्था कर रखी है। इसके कारण, कोरियाई उत्पादकों की कच्ची सामग्री की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमत से तुलनीय नहीं हैं। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप कोरिया में एक खास बाजार स्थिति है।
- झ. थैलिक एनहाइड्राइड (पी ए एन) उत्पादकों की कच्ची सामग्री की खरीद कीमतें प्रमुख जर्नल में प्रकाशित कीमतों को अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। तथापि, कोरियाई उत्पादकों के लिए कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार नहीं हैं। इसकी बजाय, कीमतें **अलग अलग** हैं और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कम हैं।
- ञ. कोरियाई उत्पादकों ने यह स्थापित करने के लिए विगत जांचों में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किए थे कि उनकी कीमतें प्रचलित कीमतों से पूरी तरह मेल खाती हैं। यहां तक कि सुनवाई के समय भी कोरियाई उत्पादकों का तर्क यह था कि घरेलू उद्योग के पास कोई साक्ष्य नहीं है। तथापि, जब साक्ष्य कोरियाई ओ एक्स – पी ए उत्पादकों के बीच खरीद और बिक्री कीमत के संबंध में है, तो यह स्वाभाविक है कि घरेलू उद्योग के पास दस्तावेज नहीं है।
- ट. हलदर टोपोसे मामले में माननीय न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि यद्यपि इस न्यायालय की टिप्पणी एक न्यायिक कोर्ट में एक कार्यवाही के संदर्भ में थी, लेकिन यह प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के लिए समान रूप से लागू है, जिसका यह **कर्तव्य** है कि उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य के अनुसार कार्यवाही करे और नियम 6 (8) में उल्लिखित परिस्थितियों में प्रतिकूल अर्थ निकालने का सांविधिक अधिकार है।
- ठ. कोरियाई उत्पादकों की कीमत प्रवृत्ति की तुलना कच्ची सामग्री के आयात और निर्यात की कीमत के साथ की जानी चाहिए।
- ड. उत्पादकों ने यह दावा किया है कि उनके कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ता असंगत पक्षकार हैं। इस संबंध में आवेदकों का यह अनुरोध है कि संबंध केवल कानूनी संबंध तक सीमित नहीं है बल्कि वाणिज्यिक संबंध तक भी विस्तार है।
- ढ. दिनांक 10 मई, 2018 की व्यापार सूचना सं. 09/2018 के तहत यह स्पष्ट है कि सभी पक्षकार ऐसे सौदे करते हैं, जो उत्पादकों के कीमत व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, ये संगत पक्षकार के दायरे में शामिल हैं।
- ण. यदि उत्पादक अपने उत्पाद का निर्यात उनके अपने देश में कीमतों से कम कीमत पर करते हैं, तो वे पाटन के लिए आई सी आई एस कीमतों अथवा वैश्विक बाजार की कीमतों पर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे उत्पादकों और उनके कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं के बीच किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था हो, अथवा उत्पादकों की लेखा बहियों में सौदे की वास्तविक कीमत का उल्लेख नहीं किया गया हो।
- त. पूर्व पाटनरोधी जांच में, ऐक्यंग ने 5 संगत निर्यातकों के साथ उत्तर दाखिल किया था। विगत जांच में 5 निर्यातकों में से वूरी पी एंड सी कार्पोरेशन और उबेस्को कार्पोरेशन ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। यदि यह पाया गया है कि संगत संख्या के ज़रिए भी भारत को निर्यात किए गए हैं, तो दाखिल किए गए उत्तर में कमियां हैं और स्वीकार करने योग्य है।
- थ. हनवा सोल्यूशन कार्पोरेशन के पास भारत में तीन संगत संस्थाएं हैं। हनवा कैमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हनवा इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हनवा क्यू सेल्स कार्पो., लेकिन उसने केवल हनवा कैमिकल इंडिया प्रा. लिमि. के नाम का ही उल्लेख अपने उत्तर में किया है। सभी तीनों कंपनियों विपणन और बिक्रियों में लगी हुई हैं और इसीलिए उनके लिए उत्तर दाखिल करना जरूरी था।
- द. यदि उत्पादक अपने उत्पाद का निर्यात उनके अपने देश की कीमतों से भी कम कीमत पर कर रहे हैं, तो उन पर आई सी आई एस कीमतों अथवा वैश्विक बाजार कीमतों पर पाटन के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। संगत मानदंड यह हैं कि क्या उत्पादक अपने उत्पाद की पाटित कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं। संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों में काफी गिरावट आई है और उत्पादकों का उत्तर पाटन दर्शाएगा।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-
- क. सभी विगत जांचों में, ऐकयंग और उसके व्यापारी कभी भी भारतीय बाजार में वस्तुओं का पाटन करते हुए नहीं पाए गए। प्राधिकारी से अनुरोध है कि ऐकयंग के आयातों के खिलाफ जांच को समाप्त करें।
 - ख. घरेलू उद्योग ने ऐकयंग के खिलाफ असत्यापित आरोप लगाए हैं लेकिन इसके लिए कोई भी साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं। विगत जांचों में भी इसी प्रकार के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया गया था।
 - ग. विदेशी निर्माता/ उत्पादक आई सी आई एस रिपोर्ट के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए कीमतें प्रस्तुत करते हैं।
 - घ. हनव्हा मासिक फार्मूला के आधार पर घरेलू उत्पादकों से कच्ची सामग्री की खरीद करता है, जिसका निर्धारण बाजार की स्थितियों के आधार पर बातचीत से साप्ताहिक सी एफ आर कीमत के आधार पर किया जाता है।
 - ङ. संगत पक्षकारों के संबंध में घरेलू उद्योग का तर्क लागू नहीं होता क्योंकि हनव्हा ने कच्ची सामग्रियों की खरीद केवल असंगत पक्षकारों से, जांच की अवधि के दौरान निष्पक्ष कीमत पर की है।
 - च. निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हलदर टोप्सो मामले में फैसले पर घरेलू उद्योग की निर्भरता गलत है क्योंकि यह स्पष्ट है कि बाध्यता तभी लागू होती है जब किसी पक्षकार के पास साक्ष्य हों। हनव्हा ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान कर दिए हैं।
 - छ. ऐकयंग कच्ची सामग्री की खरीद ऐसी उचित कीमतों पर करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से तुलनीय होती है चूंकि ऐकयंग का स्थान इन आपूर्तिकर्ताओं के नजदीक है, अतः ऐकयंग को कम परिवहन लागत का फायदा है और यह उनकी कीमत में दिखाई दे रहा है।
 - ज. ऐकयंग मुख्यतः एस के ग्लोबल कैमिकल और लोटी कैमिकल, कोरिया से तथा जे एक्स निप्पोन ऑयल एंड एनर्जी, जापान से कच्ची सामग्री की खरीद कर रहा है। चूंकि आपूर्ति सीमित है, अतः केवल एक आपूर्तिकर्ता से कच्ची सामग्री की खरीद करना संभव नहीं है।
 - झ. प्लेटस ओ एक्स, चीन जन. गण. की कीमत, जांच की अवधि अप्रैल, 2019 से मार्च 2020 तक के दौरान एस के लौटे और निप्पोन ऑयल एंड एनर्जी से हनवा की खरीद की रेंज के भीतर रही।
 - ञ. ऐकयंग आवेदकों द्वारा बताई गई परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि दोनों विक्रेताओं और क्रेताओं के पास कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है और आपूर्तिकर्ता जिन्हें चाहे अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र है।
 - ट. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर कि बूरी पी एंड सी कापॉरेशन और उबेस्को कापॉरेशन ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, यह कहना है कि ऐकयंग ने उनके ज़रिए भारत को निर्यात नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

21. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों ने निर्यातकों की प्रश्नावली के प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए हैं :-
- क. हानव्हा सोल्यूशन कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य अपने निर्यातकों एवरलाइट कोरिया लि. और मिनजिन कॉर्पोरेशन लि. के साथ ।

- ख. एक्युंग पैट्रोकेमिकल, उत्पादक, कोरिया गणराज्य अपने निर्यातकों कान्को मार्केटिंग इंक, हूमेड कॉर्पोरेशन, हुंडई कॉर्पोरेशन, पोलीकैम एशिया कं., लि. के साथ।
- ग. पी.टी. पैट्रोविडाडा, इंडोनेशिया अपने निर्यातक पी.टी. पैट्रोनिक्का के साथ।
- घ. रेस्टार कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य में अपूर्ण प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है। इसलिए प्राधिकारी ने इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर को निरस्त कर दिया है।
22. रेस्टार कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य ने अपूर्ण प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है। इसलिए प्राधिकारी ने इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर को निरस्त कर दिया है।

सामान्य मूल्य का निर्धारण

I. चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण :-

चीन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

23. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान है: 15

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले साफ यह दिखा सकते हैं-यदि जांचाधीन उत्पादक साफ उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है-साफ यह -यदि जांचाधीन उत्पादक साफ, के संबंध में बाजार नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उपपैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति - के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज) के लिए अधिसूचित करेगा। और काउंटर वेलिंग मैसर्स

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, जो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात) में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून (किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क(ii)) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद वर्षों 15 में समाप्त होंगे। इसके अलावा द्वारा यह सुनिश्चित आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के, करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप बाजार अर्थव्यवस्था-पैराग्राफ (क) के गैर के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

24. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए उपबंध 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत उपबंध में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदत्त की जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
25. चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने अपने आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है जो कि निम्नलिखित रूप में पठित है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

26. प्राधिकारी लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित, भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना मानते हैं जो कि बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उपयुक्त लाभ जोड़ने के बाद, भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

II. इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

पीटी पैट्रोविडाडा

27. पीटी पैट्रोविडाडा इंडोनेशिया में संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगा हुआ है और उसने संबद्ध सामानों की बिक्री सीधे ही घरेलू बाजार में की है। जांच की अवधि के दौरान पीटी पैट्रोविडाडा, इंडोनेशिया ने असंबद्ध तथा संबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में *** अमेरिकी डॉलर के *** मी. टन के संबद्ध सामानों की बिक्री की है। घरेलू बिक्री भारत को निर्यातों से तुलना करने पर पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में असंबद्ध पक्षकारों के लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन करते हुए निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। प्राधिकारी ने नोट किया कि यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो घरेलू बिक्री में सभी लेन-देन सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माने जाने होते हैं और जिन मामलों में लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हैं, उनमें केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री को ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाना होता है। पीटी पैट्रोविडाडा, इंडोनेशिया के संबंध में चूंकि लाभप्रद

बिक्रियां 80 प्रतिशत से अधिक हैं, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी घरेलू बिक्रियों पर विचार किया है। पीटी पैट्रोविडाडा, इंडोनेशिया ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग खर्चों के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, पीटी पैट्रोविडाडा, इंडोनेशिया के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

इंडोनेशिया में अन्य सभी असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

28. इंडोनेशिया के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

III. कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

एकुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि.

29. एकुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि. कोरिया गणराज्य में संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगा हुआ है। जांच की अवधि के दौरान एकुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि., कोरिया गणराज्य ने असंबद्ध तथा संबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में *** केआरडब्ल्यू के *** मी. टन के संबद्ध सामानों की बिक्री की है। घरेलू बिक्री भारत को निर्यातों से तुलना करने पर पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में असंबद्ध पक्षकारों के लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन करते हुए निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। प्राधिकारी ने नोट किया कि यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो घरेलू बिक्री में सभी लेन-देन सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माने जाने होते हैं और जिन मामलों में लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हैं, उनमें केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री को ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाना होता है। एकुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि., कोरिया गणराज्य के संबंध में चूंकि लाभप्रद बिक्रियां 80 प्रतिशत से कम हैं, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार किया है। एकुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि., कोरिया गणराज्य ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग खर्चों आदि के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, एकुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि., कोरिया गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

हनवा सॉल्यूशन्स कारपोरेशन

30. हनवा सॉल्यूशन्स कारपोरेशन ("एचएससी"), कोरिया गणराज्य से सहयोगी उत्पादक एवं निर्यातक, कोरिया गणराज्य में संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगा हुआ है। यह अनुरोध किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान एचएससी ने संबद्ध और असंबद्ध, दोनों घरेलू उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएससी ने असंबद्ध ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद के *** मी. टन और घरेलू बाजार में संबद्ध उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद के *** मी. टन बिक्री की। घरेलू बिक्री भारत को निर्यातों से तुलना करने पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देनों का अनुपात निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। प्राधिकारी ने नोट किया कि यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो घरेलू बिक्री में सभी लेन-देन सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माने जाने होते हैं और जिन मामलों में लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हैं, उनमें केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री को ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाना होता है। व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया करने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में *** प्रतिशत बिक्री लेन-देन लाभप्रद पाए जाते हैं। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में की गई केवल लाभप्रद बिक्री पर विचार किया है। एचएससी ने अंतर्देशीय भाड़ा, पैकिंग लागत और ऋण लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने एचएससी द्वारा दावा किए गए सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। एचएससी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य तदनुसार निर्धारित किया गया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कोरिया गणराज्य में अन्य सभी असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

31. कोरिया गणराज्य के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

IV. थाईलैंड में सामान्य मूल्य का निर्धारण

कांटीनेंटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि.

32. कांटीनेंटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि. ने सामानों का उत्पादन किया है और घरेलू बाजार में सीधे ही बिक्री की है। जांच की अवधि के दौरान कांटीनेंटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि., थाईलैंड ने असंबद्ध तथा संबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में *** टीएचबी के *** मी. टन के संबद्ध सामानों की बिक्री की है। घरेलू बिक्री भारत को निर्यातों से तुलना करने पर पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन करते हुए निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। प्राधिकारी ने नोट किया कि यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो घरेलू बिक्री में सभी लेन-देन सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माने जाने होते हैं और जिन मामलों में लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हैं, उनमें केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री को ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाना होता है। कांटीनेंटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि., थाईलैंड के संबंध में चूंकि लाभप्रद बिक्रियां 80 प्रतिशत से कम हैं, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद बिक्रियों पर विचार किया है। कांटीनेंटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि., थाईलैंड ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत आदि के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, कांटीनेंटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि., थाईलैंड के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

थाईलैंड में अन्य सभी असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

33. थाईलैंड के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

I. चीन जन. गण. के उत्पादक/निर्यातक

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण लागत, अंतर्देशीय एवं पत्तन प्रभारों के लिए उचित समायोजनों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

II. इंडोनेशिया के उत्पादक/निर्यातक

पीटी पेट्रोविडाडा

35. जांच की अवधि के दौरान पीटी पेट्रोविडाडा ने संबद्ध व्यापारी अर्थात् पीटी पेट्रोनिका, इंडोनेशिया के माध्यम से भारत को *** अमेरिकी डॉलर के *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया। पीटी पेट्रोविडाडा ने भारतीय बाजार को कोई सीधी बिक्री नहीं की है। पीटी पेट्रोनिका ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सामानों की सीधे ही बिक्री की है। उत्पादक तथा निर्यातक द्वारा सूचित की गई मात्रा निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए पीटी पेट्रोविडाडा द्वारा भारत को निर्यातों के रूप में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई है। उत्पादक और निर्यातक ने कारखानागत कीमत निर्धारित करने के लिए ऋण लागत और पैकिंग खर्चों के निमित्त समायोजन का दावा किया है। तदनुसार, पीटी पेट्रोविडाडा की निर्यात कीमत भारत औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

इंडोनेशिया के अन्य सभी असहयोगी उत्पादक

36. अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत खर्चों के समायोजनों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

III. कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक

एकुंग पेट्रोकेमिकल कं. लि.

37. एकुंग पेट्रोकेमिकल कं. लि., जो कोरिया गणराज्य में संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान, एकुंग पेट्रोकेमिकल कं. लि. ने चार असंबद्ध व्यापारियों अर्थात् कांगो मार्केटिंग इंक, कोरिया गणराज्य, हुमाडे कॉर्पोरेशियो, कोरिया गणराज्य, हुंडई कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य और पॉलीकेम एशिया कं. लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के माध्यम से और सीधे ही भारत को *** अमेरिकी डॉलर के *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया। एकुंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड, कोरिया गणराज्य, कांगो मार्केटिंग इंक, कोरिया गणराज्य, हुमाडे कॉर्पोरेशियो, कोरिया गणराज्य, हुंडई कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य और पॉलीकेम एशिया कं. लिमिटेड, कोरिया गणराज्य ने सभी संगत सूचनाएं अपेक्षित प्रपत्र में उपलब्ध कराई हैं। एकुंग पेट्रोकेमिकल कं. लि. ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन और अन्य संबद्ध खर्चों, ऋण लागत, पैकिंग व्यय और शुल्क वापसी के निमित्त समायोजन का दावा किया है। तदनुसार, एकुंग पेट्रोकेमिकल कं. लि., कोरिया गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत दावा किए गए समायोजनों की अनुमति देने के बाद निर्धारित की गई है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

हनवा सॉल्यूशन्स कारपोरेशन

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हनवा सॉल्यूशन्स कारपोरेशन "एचएससी" ने सीधे ही भारतीय ग्राहकों को *** मी. टन मात्रा का निर्यात किया है और विविध व्यापारियों के माध्यम से *** मी. टन मात्रा का निर्यात किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इन दोनों व्यापारियों अर्थात् एवरलाइट कोरिया कं. लि. ("एवरलाइट") और मिंजिन कारपोरेशन लि. ("मिंजिन"), जिनका भारत को एचएससी द्वारा की गई कुल बिक्री में लगभग *** प्रतिशत हिस्सा है, ने वर्तमान जांच में पूरा सहयोग किया है। अतः सहयोगी चैनल का जांच की अवधि के दौरान भारत को एचएससी के कुल निर्यातों में *** प्रतिशत हिस्सा है। एचएससी, एवरलाइट और मिंजिन द्वारा सूचित की गई मात्राओं पर निर्यात कीमत निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए विचार किया गया है।

एचएससी, मिंजिन और एवरलाइट ने भारत को सीआईएफ शर्तों पर निर्यात किए हैं और तदनुसार अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, दलाली, समुद्री बीमा, पैकिंग लागत, ऋण लागत, बैंक प्रभारों, कमीशन, विलंब एवं रुकाई प्रभारों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने दोनों व्यापारियों की लाभप्रदता का मूल्यांकन किया है और उन्हें हानिप्रद पाया है तथा तदनुसार निर्यात कीमत में समायोजन किए हैं। तदनुसार, हनवा के लिए निर्यात कीमत सभी चैनलों से भारत को भारत औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

कोरिया गणराज्य में अन्य सभी असहयोगी उत्पादक

39. अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

IV. थाईलैंड से उत्पादक/निर्यातक

कांटीनैटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि.

40. जांच की अवधि के दौरान कांटीनैटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि., जो थाईलैंड में संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है, ने भारत में असंबद्ध पक्षकारों को भारत को सीधे ही *** अमेरिकी डॉलर के *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। भारतीय ग्राहकों को बिक्री सीआईएफ और सीएफआर आधार पर हैं। कांटीनैटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि. ने अपेक्षित प्रपत्र में सभी संगत सूचनाएं दी हैं। कांटीनैटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि. ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है जिसकी प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। तदनुसार, कांटीनैटल पेट्रोकेमिकल्स (थाईलैंड) कं. लि. के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

थाईलैंड में अन्य सभी असहयोगी उत्पादक

41. जिन अन्य सभी उत्पादकों एवं निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है, उनके लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।
42. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	सामान्य मूल्य (डॉलर/ मी. टन)	कारखानागत निर्यात कीमत (डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन (डॉलर/मी. टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (% रेंज)
1	चीन जन. गण.					
	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30
2	इंडोनेशिया					
क	पीटी. पेट्रोविडाडा	***	***	***	***	0-10
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20
3	कोरिया गणराज्य					
क	एकुंग पेट्रोकेमिकल	***	***	***	***	0-10
ख	हनवा सॉल्यूशन कारपोरेशन	***	***	***	***	0-10
ग	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30
4	थाईलैंड					
क	कांटीनेंटल पेट्रोकेमिकल्स कं. लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30

छ. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क**छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

43. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. क्षति की अवधि में मांग लगभग 19 प्रतिशत बढ़ी है।

ख. संबद्ध देशों से आयात, जो वर्ष 2016-17 में 49,579 मी. टन थे, बढ़कर जांच की अवधि में 1,35,564 मी. टन हो गए।

ग. उत्पादन और खपत के संबंध में आयात वर्ष 2016-17 में क्रमशः 17 प्रतिशत और 15 प्रतिशत थे, परन्तु जांच की अवधि में 50 प्रतिशत और 34 प्रतिशत तक बढ़ गए।

घ. संबद्ध देशों से आयात कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम हैं और इस प्रकार परिणामस्वरूप सकारात्मक और काफी कीमत कटौती हुई।

ड. आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं।

- च. उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2017-18 में वृद्धि हुई, परन्तु उसके बाद उनमें काफी गिरावट आई।
- छ. घरेलू बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई, परन्तु उसके बाद उसमें काफी गिरावट आई।
- ज. संबद्ध आयातों में वृद्धि जांच की अवधि में मांग में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है और उसने घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ले लिया है।
- झ. घरेलू उद्योग में मालसूची का काफी अंबार लगा हुआ है। मालसूची बढ़ने पर बाजार हिस्से में गिरावट स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव दर्शाती है।
- ञ. घरेलू उद्योग वर्ष 2016-17 में लाभ में था, जिसमें जांच की अवधि में भारी गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप नकद लाभ, ब्याज और कर पूर्व लाभ तथा निवेश पर आय में गिरावट आई है।
- ट. घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही है।
- ठ. घरेलू उद्योग अपनी संयंत्र क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया में है और यदि प्रचालनों में इतनी अधिक हानि होती है तो निधियां जुटाने में उसे निश्चित रूप से कठिन स्थिति का सामना करना होगा।
- ड. चीन और कोरिया में क्षमता देशों में मांग से काफी अधिक हैं और उत्पादक हमेशा बेकार क्षमताओं का उपयोग करने के लिए बाजार अवसरों की ओर देखेंगे।
- ढ. इंडोनेशिया और थाईलैंड के लिए, उत्पादन का अत्यधिक हिस्सा निर्यात के लिए प्रयुक्त किया गया है जो यह दर्शाता है कि उत्पादकों ने निर्यात बाजार के लिए अपनी क्षमताएं स्थापित की हैं।
- ण. अधिशेष और बेकार क्षमताओं की समस्या से संबद्ध देशों में उत्पादक निर्यातक बाजार में अपनी कीमतें बाजार कीमतों से कम रख रहे हैं।
- त. कच्ची सामग्री की कीमतों में परिष्कृत सामानों की कीमत का अनुपात औसत विश्व स्तर की तुलना में संबद्ध देशों के लिए कम है।
- थ. भारत में बढ़ती हुई मांग और प्रयोक्ताओं द्वारा इनपुट के सस्ते स्रोतों की खोज के कारण संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार एक प्राथमिक बाजार है।
- द. जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव रहा है। अतः यह आवश्यक है कि आयातों के प्रभाव का मासिक आधार पर विश्लेषण किया जाए।
- ध. निर्यातों में प्रतिकूल निष्पादन देश में पाटित आयातों के कारण क्षति की वजह से है और उसे घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाला एक कारक माना जा सकता है।
- न. क्षति मार्जिन की तुलना भाड़ा जोड़कर की जा सकती है क्योंकि उपभोक्ता अपनी खरीदों का निर्धारण करते हैं और अपने कारखाना भंडार में आयातों की पहुँच कीमत की तुलना के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से कीमतों की बातचीत करते हैं।
- प. उत्प्रेरक प्रति 27-30 महीनों में परिवर्तित होता है। जिस वर्ष में यह परिवर्तित होता है, कच्ची सामग्री और यूटिलिटीयों के उत्पादन तथा उपयोग के संदर्भ में संयंत्र में उच्च दक्षता दर्शाता है जिसमें बाद में गिरावट आनी शुरू होती है। अतः एनआईपी के निर्धारण के लिए उस वर्ष के लिए उच्च उत्पादन और कम खपत पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा।
- फ. जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में आवश्यक है, न कि किसी नई पाटनरोधी जांच में। अतः जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
- ब. ग्राहकों की पूछताछ का उत्तर न देने वाले उत्पादकों के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे दावे के समर्थन में किसी सत्यापनीय दस्तावेज की मांग करें। घरेलू उद्योग बेकार क्षमताओं, अधिक मालसूची के साथ प्रचालन कर रहा है और काफी मात्रा में निर्यात करने के लिए विवश था, अतः इसका कोई कारण नहीं है कि वह तब तक ग्राहकों की पूछताछ को क्यों नहीं लेगा जब तक अपेक्षित कीमतें बुरे तरीके से कम अथवा अनुपयुक्त न हों।

- भ. द्विपक्षीय रक्षोपाय और पाटनरोधी जांच में दावा की गई क्षति के अनुरोध के संबंध में, यह मुद्दा द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच में प्राधिकारी के जांच परिणाम द्वारा पहले ही ले लिया गया है। कम कीमत के आयातों का कारण पाटन, सब्सिडी और प्रशुल्क रियायत हो सकती है तथा कम कीमत के आयातों में वृद्धि के कारण की जांच के लिए अनुरोध करने से आवेदकों पर कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है।
- म. वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए विवरणों के अनुरोध के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों ने वार्षिक रिपोर्टों से चुने गए विवरण लिए हैं। तीन में से दो आवेदकों ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में उल्लेख किया है कि वर्तमान निष्पादन भारतीय बाजार में सामानों के पाटन के कारण प्रभावित हुआ है।
- य. लाभ लेने वाले घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में, यह अनुरोध है कि जब घरेलू उद्योग को ये "लाभ" प्राप्त थे, तो उसका निष्पादन कमजोर था जो पाटित आयातों में सुभेद्यता दर्शाता है।
- कक. अतिरिक्त सूचना के अनुरोध के संबंध में क्षमता पुनरुद्धार, योजनाबद्ध क्षमता विस्तार में विलंब आदि के संबंध में सूचना कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है जो आवेदन पत्र का भाग है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. कोरिया गणराज्य से आयातों की पहुँच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक है और इसीलिए कोई कीमत प्रभाव नहीं है।
- ख. क्षमता उपयोग 85 प्रतिशत के अच्छे स्तर पर रहा है और जांच की अवधि में उत्पादन तथा लाभप्रदता में थोड़ी-सी गिरावट अन्य कारकों, यथा – तूफान, बाढ़, मार्जिन में सिकुड़न तथा अन्य कच्ची सामग्री के कारण है।
- ग. घरेलू उद्योग की बिक्री में बिक्री आय में वृद्धि के कारण जांच की अवधि में आंशिक गिरावट आई है।
- घ. निर्यात निष्पादन में तेजी से ह्रास हुआ है जिससे घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हो सकता है।
- ङ. संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों के हिस्से में गिरावट के कारण वृद्धि हुई है।
- च. वर्तमान जांच में क्षति की अवधि का द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच के मामले में अवधि अतिव्यापन होता है जिसमें क्षति का कारण केवल सीमा शुल्क को समाप्त करना था।
- छ. जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग का निष्पादन भारी उतार-चढ़ाव दर्शाता है। जांच की अवधि के बाद की अवधि कारणात्मक संपर्क की जांच में बहुत संगत है और यह कहकर अलग नहीं की जानी चाहिए कि वह नई जांच में संगत नहीं है।
- ज. टीसीएल की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में विचार-विमर्श यह दर्शाता है कि सभी विगत मुद्दे, जिन्होंने निष्पादन प्रभावित किया, अब विद्यमान नहीं हैं।
- झ. वर्ष 2017-18 में अनिवार्य से अधिक आयात उस समय हुए, जब आवेदकों ने 50-60 प्रतिशत आय दर्ज की।
- ञ. वर्ष 2017-18 को छोड़कर वर्ष में वास्तविक आयात-अनिवार्य आयात नकारात्मक हैं जो यह दर्शाता है कि प्रयोक्ता घरेलू तौर पर खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं और शेष का ही आयात करते हैं।
- ट. घरेलू उद्योग की वर्तमान आय घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित 50-60 प्रतिशत की रेंज में विगत आय से संशोधन है।
- ठ. थैलिक एनिहाइड्राइड विनिर्माताओं को कच्ची सामग्री पर शुल्क की शून्य दर, कच्ची सामग्री की प्रचुर आपूर्ति और उत्पादन प्रक्रिया के रूप में कई लाभ मिलते हैं जिससे अधिशेष विद्युत उत्पादन होता है।
- ड. भारतीय उत्पादकों को विगत 20 वर्षों से शुल्क का संरक्षण मिला है, परन्तु क्षमता में विस्तार नहीं किया है।
- ढ. मौखिक बैठक में, घरेलू उद्योग ने मध्य पूर्व को निर्यात के लिए सहमति दी है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी निर्यात कीमतें अन्य से सस्ती हैं।

- ण. विदेशी विनिर्माताओं के पास पर्याप्त निर्यात अवसर हैं; निर्यात कीमतें वैश्विक रूप से प्रभावी बाजार दर्शाती हैं; यह कीमत वसूली वह है जो भारत में प्राप्त वसूली से असमान नहीं है।
- त. घरेलू उद्योग को क्षमता पुनरुद्धार की लागत, योजनाबद्ध क्षमता विस्तार में विलंब, योजनाबद्ध अल्पकालिक बंदी, कोविड-19 का प्रभाव आदि के संबंध में ब्यौरे देने चाहिए।
- थ. अंतिम प्रयोक्ता अग्रिम प्राधिकार के तहत चीन और दक्षिण कोरिया जैसे गैर-एफटीए देशों से आयात करते हैं।
- द. ऑर्थोक्सिलीन से निर्मित उत्पाद की उपज और मांग नेफथालीन से बेहतर है।
- ध. जांच की अवधि से पूर्व और जांच की अवधि के बाद में घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन अच्छा रहा है। जांच की अवधि के दौरान पृथक कीमत क्षति पाटन अथवा आयातों के कारण नहीं है बल्कि आवेदन पत्र दायर करने के एक मात्र प्रयोजन से स्वनिर्मित है।
- न. पैन उत्पादकों के पक्ष में एक उतार-चढ़ाव पूरी तरह से काम कर रहा है। समग्र रूप से आर्थिक सुधार है, और कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
- प. क्षति की अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं का निष्पादन भी बहुत सुदृढ़ है और क्षति का कोई संकेत सिद्ध नहीं है।
- फ. मात्रात्मक मानदंड आवेदकों के आंतरिक मुद्दों के कारण धीमे रहे, जैसा कि उनकी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है।
- ब. भारत में पैन की अच्छी मांग का लाभ लेने के लिए घरेलू उद्योग नई क्षमताएं जोड़ रहा है। यदि घरेलू उद्योग को कोई खतरा होता तो उन्होंने नई क्षमता अभिवृद्धि की घोषणा न की होती।
- भ. मासिक कीमत संचलन की जांच करने का दावा क्षति के न होने को छिपाने के लिए ही है, न कि मासिक विश्लेषण को, परन्तु जांच की अवधि के बाद का क्षति विश्लेषण वर्तमान मामले के तथ्यों में संगत है।
- म. आवेदक निर्यात बाजार पर अधिक जोर देते हैं और अधिक निर्यात बाजार लेने के लिए ये कम कीमतें पेश की जाती हैं।
- य. एनआईपी में भाड़े पर विचार करने का दावा नियमावली के अनुरूप विगत में कई जांचों में रद्द किया गया है और यही दृष्टिकोण यहां पर लिए जाने की आवश्यकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

45. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा यथातथ्यतः नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

संचयी मूल्यांकन

46. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 और नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से उत्पाद के आयातों की साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-

- क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (या अधिक) है अथवा जहां अलग देश का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक है, और
- ख) आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध सामान भारत में संबद्ध देशों से पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से ही अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं करते बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

48. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर चीन जन. गण., इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त मानते हैं।

49. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

50. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा परवर्ती पैराओं में किया गया क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड ह्रास दर्शाएं। कुछ मानदंड ह्रास दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं। प्राधिकारी सभी क्षति संबंधी मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर वस्तुपरक रूप से विचार करते हुए क्षति मानदंडों की जांच की है।

52. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति द्विपक्षीय रक्षोपायों के माध्यम से पहले ही हल कर दी गई है और आवेदक पाटन के कारण और क्षति का आरोप नहीं लगा सकते। यह नोट किया जाता है कि व्यापार करारों के तहत न तो द्विपक्षीय रक्षोपाय नियम और न ही पाटनरोधी नियम में शुल्क कटौती अथवा पाटन को क्षति का एकमात्र कारण होना अपेक्षित है।

53. जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद की जांच निर्णायक समीक्षा जांचों के असमान मूल जांचों में नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस मामले में जांच की अवधि के बाद की अवधि कोविड महामारी के कारण वैश्विक रूप से और भारत में देशव्यापी बंदी से विशिष्ट है और इसीलिए इस अवधि के दौरान निष्पादन प्रकृति में प्रतिनिधिकारक नहीं होगा।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

क. मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

54. भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों का योग है।

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	2,23,200	2,35,591	2,37,924	2,28,046
2	अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	मी. ट.	24,000	6,000	-	-
3	संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	49,579	89,250	91,020	1,35,564
4	अन्य देशों से आयात	मी. ट.	42,472	41,189	53,640	38,891
5	कुल मांग/ खपत	मी. ट.	3,39,251	3,72,030	3,82,583	4,02,500

55. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में क्षति की अवधि के दौरान सतत रूप से वृद्धि हुई है।

ख. पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

56. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या आयातों में पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वास्तविक स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश	मी. ट.	49,579	89,250	91,020	1,35,564
क	चीन जन. गण.	मी. ट.	40	2,418	10,628	14,758
ख	इण्डोनेशिया	मी. ट.	8,470	25,144	16,492	21,530
ग	कोरिया गणराज्य	मी. ट.	33,766	41,664	49,081	86,466
घ	थाईलैण्ड	मी. ट.	7,303	20,024	14,819	12,810
2	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात					
क	भारतीय उत्पादन	मी. ट.	2,96,561	2,89,491	2,75,492	2,69,640
ख	भारतीय उत्पादन	%	16.72%	30.83%	33.04%	50.28%
ग	मांग	मी. ट.	3,39,251	3,72,030	3,82,583	4,02,500
घ	मांग	%	14.61%	23.99%	23.79%	33.68%
ड	कुल आयात	%	53.86%	68.42%	62.92%	77.71%

57. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों में क्षति की अवधि के दौरान पूर्ण रूप से तथा जांच की अवधि में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। आयातों में भारत में कुल आयातों, उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आयात आधार वर्ष और पिछले वर्ष दोनों की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

58. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इस तथ्य की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई

हो के संबंध में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षति-रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

59. कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच से की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से आयातों का कटौती संबंधी प्रभाव नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
2	संपूर्ण रूप में संबद्ध देश					
क	पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	60,910	67,060	76,017	63,423
ख	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत में कटौती	रेंज	10-20	0-10	0-10	0-10
3	चीन जन. गण.					
क	पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	70,677	69,402	79,586	63,306
ख	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत में कटौती	रेंज	(0-10)	0-10	0-10	0-10
4	इण्डोनेशिया					
क	पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	58,846	67,489	76,718	63,099
ख	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत में कटौती	रेंज	10-20	0-10	0-10	0-10
5	कोरिया गणराज्य					
क	पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	61,185	66,989	74,225	63,714
ख	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत में कटौती	रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10
6	थाईलैण्ड					

क	पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	61,980	66,388	78,612	62,135
ख	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत में कटौती	रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10

60. प्रकटन विवरण के जारी किए जाने के बाद, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए पहुंच मूल्य से तुलना की जा रही बिक्री कीमत कारखाना स्तर पर नहीं होनी चाहिए। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी कारखानागत स्तर पर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर विचार कर कीमत में कटौती का निरंतर रूप से निर्धारण करते रहे हैं और इस कारण से कीमत में कटौती की गणना कारखानागत स्तरों पर बिक्री कीमत पर विचार करते हुए संशोधित की गई है। यह देखा गया है कि समग्र रूप से संबद्ध देशों से आयात उस कीमत पर हो रहे हैं जो घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम है और इसके परिणामस्वरूप, कीमत में सकारात्मक कटौती हो रही है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

61. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों का ह्रास हो रहा है अथवा उन पर दबाव पड़ रहा है और क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती, प्राधिकारी क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन को नोट करते हैं।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	बिक्री की लागत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	117	113
2	बिक्री कीमत	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	119	101
3	पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	60,910	67,060	76,017	63,423
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	125	104

62. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों में जांच की अवधि में गिरावट आई है। हालांकि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से बहुत अधिक है। जांच की अवधि में भी संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट देखी है। इस कारण से, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर संबद्ध आयातों के कारण दबाव पड़ा, जिससे यह उचित कीमत वसूल नहीं पाया।

च.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

63. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा,

नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण इसमें नीचे किया गया है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री

64. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा पर विचार किया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	क्षमता	मी. ट.	3,17,110	3,17,110	3,17,110	3,17,110
2	उत्पादन	मी. ट.	2,72,561	2,83,491	2,75,492	2,69,640
3	क्षमता का उपयोग	%	86%	89%	87%	85%
4	घरेलू बिक्री	%	2,23,200	2,35,591	2,37,924	2,28,046

65. यह नोट किया जाता है कि -

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रही है।
 ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता के उपयोग में 2017-18 तक वृद्धि हुई है लेकिन उसके बाद उसमें गिरावट आई है।
 ग. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई है।

ख. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

66. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच की गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	66%	63%	62%	57%
2	अन्य उत्पादक	%	7%	2%	0%	0%
3	संबद्ध देश	%	15%	24%	24%	34%
4	अन्य देश	%	13%	11%	14%	10%

67. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है जबकि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ग. माल सूची

68. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत माल सूची के स्तर पर विचार किया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	औसत माल सूची	मी. ट.	5,904	3,564	3,429	4,934

69. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग औसत माल सूची के स्तर में 2018-19 तक कम होने की प्रवृत्ति दर्शायी है और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई है।

घ. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर लाभ

70. घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जांच लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ के संबंध की गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	बिक्री की लागत	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	117	113
2	बिक्री कीमत	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	119	101
3	लाभ/ हानि	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	203	138	4
4	लाभ/ हानि	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	215	147	4
5	नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	198	143	23
6	ब्याज और कर पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	197	139	15
7	लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	106	11

71. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के पूर्व वर्ष तक अच्छा लाभ अर्जित कर रहा था। हालांकि, घरेलू उद्योग के लाभ में जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई है। इसके फलस्वरूप, नकद लाभ और निवेश पर लाभ भी प्रभावित हुआ है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

72. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की गई थी।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	सं.	695	757	783	775
2	वेतन एवं मजदूरी	रु लाख- प्रवृत्ति	100	121	127	130

3	उत्पादकता प्रति दिन	मी. ट./ दिन	779	810	787	770
4	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. ट./ सं.	392	374	352	348

73. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तरों में क्षति की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव आया है और भुगतान की गई मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी और प्रतिदिन उत्पादकता में 2017-18 में वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद उत्पादन में गिरावट के साथ इसमें कमी आई।

च. वृद्धि

74. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि संबंधी मानदंडों की जांच नीचे तालिका में दर्शायी गयी है -

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	उत्पादन	वर्ष दर वर्ष	-	4%	-3%	-2%
2	क्षमता का उपयोग	वर्ष दर वर्ष	-	4%	-3%	-2%
3	घरेलू बिक्री	वर्ष दर वर्ष	-	6%	1%	-4%
4	लाभ/ (हानि) प्रति यूनिट	वर्ष दर वर्ष	-	103%	-32%	-97%
5	माल सूची	वर्ष दर वर्ष	-	-40%	-4%	44%
6	बाजार हिस्सा	वर्ष दर वर्ष	-	-4%	-2%	-9%
7	लाभ/ (हानि) लाख रु. में	वर्ष दर वर्ष	-	115%	-31%	-98%
8	नकद लाभ लाख रु. में	वर्ष दर वर्ष	-	98%	-28%	-84%
9	पीबीआईटी लाख रु. में	वर्ष दर वर्ष	-	97%	-29%	-89%
10	निवेश पर लाभ %	वर्ष दर वर्ष	-	50%	-29%	-90%

75. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन संबंधी अधिकांश मानदंड जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

छ. पाटन का परिमाण

76. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों में पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि बहुत अधिक भी है।

ज. नये निवेश जुटाने की क्षमता

77. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर विचार करते हुए, यह देखा गया है कि नये निवेश जुटाने की कंपनी की क्षमता संभवतः कम हो जायेगी।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

78. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्रभावित हुई है क्योंकि यह समुचित लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक कारक है।

ञ. क्षति के संबंध में टिप्पणियां

79. वास्तविक क्षति के संबंध में विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का समग्र कार्य निष्पादन आशा के अनुरूप नहीं है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में पूर्णरूप में तथा भारत में

उत्पादन और खपत की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्री कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव मौजूद है। इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ी है।

ज. कारणात्मक संबंध

80. इस नियमावली के अनुसार प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा उसे क्षति होने की संभावना है, की जांच करें जिससे कि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमत, व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास, खपत के पैटर्न में परिवर्तन अथवा मांग में संकुचन, निर्यात कार्य निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है।

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

81. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों की मात्रा जांच की अवधि में कुल आयातों का 78 प्रतिशत है। संबद्ध देशों को छोड़कर, ताइवान और रूस से बहुत अधिक निर्यात हुए हैं। प्राधिकारी ने पहले ही जांच की शुरुआत के चरण में ताइवान से हुए आयातों की जांच की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि ताइवान से आयात क्षतिकारक नहीं है। रूस से आयातों पहले ही आवेदन दायर करते समय पाटनरोधी शुल्क लग रहा था।

ख. मांग में संकुचन और/ अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

82. संबद्ध वस्तुओं की मांग में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से खपत के पैटर्न में परिवर्तन अथवा मांग में संकुचन का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान नहीं हो सकता था।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

83. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कारण से प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का एक संभावित कारक नहीं है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

ङ. निर्यात कार्य निष्पादन

85. आवेदकों ने यह तर्क दिया है कि यह घरेलू बाजार में पाटित आयातों के कारण निर्यात करने के लिए मजबूर हुआ है। आवेदक ने यह तर्क दिया कि घरेलू उद्योग द्वारा मात्रा और कीमत दोनों के संबंध में किये गये निर्यात को देश में पाटन के परिणाम के रूप में माना जाना चाहिए। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में जांच की अवधि में तेजी से वृद्धि हुई है और निर्यातों में लाभप्रदता घरेलू बिक्री की तुलना में बहुत कम थी। घरेलू उद्योग को निर्यातों में वित्तीय हानि हुई है। जबकि प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात प्रचालनों के लिए उस सीमा तक अलग किये गये आंकड़ों पर विश्वास किया है जिस सीमा तक वह घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी विश्लेषण के उद्देश्य से हो सकता है, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग बहुत ही कम और अलाभप्रद कीमतों पर निर्यात करने के लिए विवश था, घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा, चूंकि निर्यात की मात्रा और लाभ को अलग अलग कर दिया गया है, अतः निर्यात कार्य निष्पादन में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक कारण नहीं है।

च. अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

86. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के कार्य निष्पादन के संबंध में आंकड़ों पर विचार किया है। इस कारण से आवेदकों द्वारा उत्पादन किये गये और बिक्री किये गये अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।

छ. क्षति मार्जिन

87. क्षति मार्जिन का मूल्यांकन संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ क्षति रहित कीमत की तुलना करते हुए की गई है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है। पहुंच कीमत और क्षति-रहित जिसका निर्धारण ऊपर में किये गये अनुसार किया गया है, के आधार पर, उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति-मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

क्र. सं.	विवरण	एन आई पी (यू एस डॉ/ मी. ट.)	पहुंच मूल्य (यू एस डॉ/ मी. ट.)	क्षति मार्जिन (यू एस डॉ/ मी. ट.)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (% रेंज)
1	चीन जन. गण.					
क	कोई भी	***	***	***	***	0-10
2	इण्डोनेशिया					
क	पेट्रोविडाडा	***	***	***	***	0-10
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20
3	कोरिया गणराज्य					
क	ऐकयंग पेट्रोकेमिकल	***	***	***	***	0-10
ख	हनवा सोल्यूशन कार्पोरेशन	***	***	***	***	0-10
ग	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20
4	थाईलैण्ड					
क	कॉटिनेंटल पेट्रोकेमिकल्स कं. लिमि.	***	***	***	***	0-10
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20

ज. प्रकटन पश्चात अनुरोध और उनकी जांच

88. प्राधिकारी ने इस मामले के आवश्यक तथ्यों को प्रकट करते हुए दिनांक 7 मई, 2021 को जारी किए गए प्रकटन विवरण पर सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की। इन हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उठाए गए अधिकांश मुद्दों को पहले भी उठाया गया है और उनका समाधान भी उपयुक्त रूप से किया जा चुका है। अतिरिक्त अनुरोधों की उस सीमा तक जांच की गई है, जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया है और वे नीचे दिए गए हैं:

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

89. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को इसमें नीचे फिर से दिया गया है।
- क. संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है और प्रयोक्ताओं ने भारतीय पैन का उपयोग करना शुरू किया है।
- ख. शुल्क के फलस्वरूप, भारतीय उत्पादकों द्वारा मुनाफाखोरी और गुटबंदी ही होगी जो असामान्य लाभ अर्जित कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप पूर्ण रूप से पैथलेट प्लास्टिसाइजर उद्योग को बंद करना पड़ेगा और इसके फलस्वरूप रोज़गार की हानि होगी।
- ग. पैन के कुछ निर्माताओं जिन्हें विभिन्न अन्य उपायों के द्वारा पहले ही संरक्षण दिया गया है, को संरक्षण प्रदान करने के लिए, पैथलेट प्लास्टिसाइजर के घरेलू निर्माताओं को हानि उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। शुल्क का उद्देश्य उत्पादक उद्योग को एकाधिकार प्रदान कर प्रयोक्ता उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाना है।
- घ. आवेदकों के जांच की अवधि के बाद का कार्य-निष्पादन उनके कार्य-निष्पादन में आमूल परिवर्तन दर्शाता है जो यह सुझाव देता है कि वर्तमान मामले में किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं है।
- ड. यह प्रकटन आवेदन के जांच की अवधि की बाद की अवधि के आंकड़े से संबंधित व्यापक अनुरोधों को दर्शाने में असफल होता है।
- च. पैन की कीमतों में विगत हाल में वृद्धि हुई है और आने वाले समय में इन कीमतों में और आगे वृद्धि होना तय है। अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान कीमतों में लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आगे किसी शुल्क को लगाने के फलस्वरूप, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
- छ. चूंकि रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश उन सभी कारकों जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे, की जांच करने के बाद की जाती है और उसे लगाया जाता है, पाटनरोधी शुल्क की जांच आवश्यक नहीं थी।
- ज. अनुपयुक्त संरक्षण उपाय न केवल घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करते हैं बल्कि इसकी दीर्घ अवधि और मौलिक हित को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह घरेलू उद्योग को उत्पादन प्रौद्योगिकी और कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए अनिच्छुक बना सकता है।
- झ. घरेलू उद्योग ने पहले ही बीआईएस के अंतर्गत आयात को शामिल करवा लिया है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देशों से निर्यात अवरुद्ध हो जाएंगे।
- ञ. डीजीटीआर ने निवेश की गई पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमति दी है जो बहुत अधिक है और कानून के अनुसार नहीं है। यूरोपीय यूनियन उस स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित निवेश की गई पूंजी पर आय के आधार पर उचित आय का निर्धारण करता है जब पाटन अथवा सब्सिडी का कोई आरोप नहीं था।
- ट. डीजीटीआर लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत आय को लागू कर घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण प्रदान कर रहा है और उसे सेस्टैट के विभिन्न फैसलों जैसे ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग व अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, हाइड्रोसंग कारपोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में दर्शाया गया है।

- ठ. पीटी. पेट्रोविडाडा, इंडोनेशिया ने एक संबंधित पक्षकार पीटी पैट्रोनिका के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। प्राधिकारी ने पीटी पैट्रोनिका के लिए हानि पर पहुंचने के लिए अपने नियम के अनुसार समायोजन किया है। पीटी पैट्रोनिका, इंडोनेशिया के परिशिष्ट-5 के अनुसार, कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद की बिक्री में लाभ नहीं कमाया है, इस कारण से, कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है।
- ड. डीजीटीआर द्वारा सिफारिश की गई और केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई शुल्क की राशि उस राशि से अधिक नहीं हो सकती है जो घरेलू उद्योग को क्षति को दूर करने के लिए अपेक्षित है।
- ढ. घरेलू उद्योग कच्चे माल, नपैथेलीन के साथ विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है और इस कारण से नपैथेलीन आधारित पैन को जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ण. अन्य किसी स्थान पर कोई अधिक क्षमता वृद्धि का कोई साक्ष्य नहीं है जो भारत में आयातों के आसन्न अंतर प्रवाह का साक्ष्य हो सकता है।
- त. घरेलू उद्योग ने अपने एनसीवी में फ्लेक्स और मोल्टेन फोर्म के अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।
- थ. निर्धारित आधार पर शुल्क लगाना अन्यायोचित, अनुचित और गैर-कानूनी तरीके से जटिल है। यह शुल्क या तो निर्धारित कोटा के आधार पर अथवा वैकल्पिक रूप से क्षति के मार्जिन के आधार पर लगाया जा सकता है।
- द. “ट्रिगर कीमत” अथवा “परिवर्तनशील आधार” पर शुल्क लगाना यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू उद्योग कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करता है।
- ध. अधिकतर अंतिम प्रयोक्ता एसएमई और एमएसएमई कंपनियां हैं जो मध्यवर्ती उपयोगों के लिए आयात करती हैं। संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख उपयोग पोलिएस्टर रेसिन के निर्माण में होता है जो बहुत अधिक संख्या में उद्योगों के काम आता है और इस कारण से समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का स्तर काफी हद तक उच्चतर और व्यापक होगा।

ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

90. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग का अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है:

- क. विचाराधीन उत्पाद का दायरा उपयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है यदि इसके परिणामस्वरूप एक अलग उत्पाद तैयार नहीं होता है और परिणामी उत्पाद इस प्रकार से अलग होता है कि उत्पादन किए गए और आपूर्ति किए गए उत्पाद को इस उत्पाद के साथ एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- ख. नैपथेलीन से बनाए गए थैलिक एनहाइड्राइड में अशुद्धता जैसे नैपथोक्क्यूईनोन्स होती है जिसके बारे में यह आशंका होती है कि यह कैंसर उत्पन्न करने वाली कंपाउंड है और कोई भी उत्पाद जो थैलिक एनहाइड्राइड का उपयोग करता है, यह एक संभावित स्वास्थ्य के लिए खतरा हो होगा।
- ग. घरेलू उद्योग उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल विषाक्तता के स्तरों के कारण थैलिक एनहाइड्राइड के उत्पादन के वास्ते एक कच्चे माल के रूप में नपैथेलीन का उपयोग नहीं कर रहा है। उसे वैश्विक स्तर पर हतोत्साहित किया जाता है। भारत में बीआईएस नपैथेलीन आधारित थैलिक एनहाइड्राइड के आयातों को हतोत्साहित करता है।
- घ. पीटी. पेट्रोविडाडा, हन्वाह साल्युशन्स कारपोरेशन, और एक्युंग पैट्रोकेमिकल्स कं. लि. के सामान्य मूल्य की गणना में पैक करने पर होने वाले खर्च का समायोजन उपयुक्त नहीं है क्योंकि कोई गौण पैकिंग घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अपेक्षित नहीं है और निर्यातों के मामले में भी, पैकेजिंग वही होता है।
- ड. पीटी पैट्रोविडाडा ने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अन्तर्देशीय भाड़े, अन्तर्देशीय बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन, और पत्तन तथा अन्य रखरखाव प्रभारों के लिए किसी समायोजन का दावा नहीं किया है।

- च. कान्टीनेंटल पैट्रोकेमिकल्स (थाइलैंड) कं. लि. के मामले में, बैंक प्रभारों और पत्तन तथा अन्य रखरखाव शुल्कों जैसे खर्च का दावा प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है। ये खर्च किसी निर्यात कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
- छ. एनआईपी का उद्देश्य आयातों की कीमत का निर्धारण करना है जिस पर घरेलू उद्योग को हानि नहीं होगी। इस प्रकार से, संगत तुलना केवल एनआईपी और आयातों की पहुंच कीमत के बीच है।
- ज. कीमत में कटौती का निर्धारण सकल बिक्री कीमत पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए क्योंकि यह वह कीमत है जिस पर घरेलू उद्योग आयातों से प्रतिस्पर्धा करता है। कीमत में कटौती का निर्धारण कारखाना स्तरों पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन की गणना में भाड़े को शामिल नहीं किया है।
- झ. जबकि यह तुलना उपयुक्त नहीं है, घरेलू उद्योग द्वारा वसूली गई निवल बिक्री कीमत क्षति रहित कीमत से कमतर है।
- ञ. केवल दो प्रयोक्ताओं ने एक उत्पाद के लिए वर्तमान जांच में भाग लिया है जिसकी भारत में बहुत अधिक मांग है। यदि शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव होता, तब अपेक्षाकृत अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए होते।
- ट. यदि शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव हुआ होता, तब प्रयोक्ता उद्योग में शटडाउन हुआ होता।
- ठ. घरेलू उद्योग भारत में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बहुत अधिक पूंजी निवेश कर रहा है। उत्पादकों को इन नई क्षमता विस्तारों को चलाने में सक्षम होने के लिए, यह आवश्यक है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शुल्क लगाया जाए।
- ड. पिछले एक दशक में प्रयोक्ता उद्योग बढ़ा है। उनका वित्तीय विवरण यह दर्शाएगा कि उनके लाभ में इस तथ्य के बावजूद वृद्धि हुई है कि विगत में शुल्क लगाया गया है।
- ढ. प्रयोक्ताओं में इन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि इन शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ण. थैलिक एनहाइड्राइड से बनाए गए उत्पादों का अंतिम उपयोग दैनिक मानवीय उपयोग जैसे बच्चे के खिलौने (सर्किंग टॉय सहित), ब्लड बैग्स, पानी के लिए हौद, कार की सीटों, घर के पेंट जैसे क्षेत्रों में अपने उपयोग को पाता है। व्यापक जनहित में यह बहुत अधिक आवश्यक है कि नैपथेलीन से वस्तुओं के पाटित आयातों को हतोत्साहित किया जाए।
- त. चीन थैलिक एनहाइड्राइड की दुनिया में एकमात्र उत्पादक है जो नैपथेलीन का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। अधिकांश उत्पादन उन देशों जैसे भारत, वियतनाम, ब्राजील, म्यांमार और अन्य दक्षिण अफ्रीकन देशों को किया जाता है जबकि यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देशों में स्थापित अधिकांश बड़े एमएनसी प्रयोक्ता चीन से आयात नहीं करते हैं।
- थ. चीन के उत्पादक इसका निर्यात न्यूनतम कीमतों पर करने के लिए विवश हैं। चीन के थैलिक एनहाइड्राइड की आयात कीमत सामान्य तौर पर न्यूनतम है। आयातक केवल मजबूरी में बेचने की कीमतों के कारण चीन से आयात कर रहे हैं।
- द. सरकार ने बार-बार यह पाया है कि पाटनरोधी शुल्क अथवा इस उत्पाद के संबंध में रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं है।
- ध. पाटनरोधी शुल्क अन्य देशों में उत्पादकों द्वारा कीमत में अनुचित भेदभाव जो भारत में उद्योग के लिए क्षतिकारक है, का निवारण है। यह इस उद्योग को एक संरक्षण नहीं है बल्कि अनुचित कीमत को दूर करने के लिए एक उपाय है।

- न. भारत में तीन उत्पादक हैं और आयात अनेक स्रोतों से हो रहा है और बाजार में कोई नया उत्पाद नहीं आने जा रहा है। आपस में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों पर रोक लगानी होगी।
- प. भारत सरकार मेक इन इंडिया अभियान और आत्म निर्भर भारत के सिद्धांत को बढ़ावा देती रही है लेकिन भारतीय थैलिक एनहाइड्राइड उद्योग प्रयोक्ता उद्योग बहुत अधिक मात्रा में आयातों का सहारा ले रहे हैं।

ब.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

91. वर्तमान जांचों का उद्देश्य इस उत्पाद के आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाना है। ये आयात किये जाने जारी रह सकते हैं, हालांकि ये अपाटित कीमतों पर किए जा सकते हैं। इस कारण से, उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी इस सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम होंगे और कुछ मांग-आपूर्ति में अंतर का आशय यह नहीं होता है कि उपभोक्ता इस वस्तु से वंचित हो जाएंगे। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादक पूरी क्षमता से भारतीय मांग का 75-85 प्रतिशत पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि इन क्षमताओं में वृद्धि भारत में इस देश में उत्पाद के लिए वर्तमान और संभावित मांग को ध्यान में रखने के लिए बढ़ाया जा रहा है।
92. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों की यह आशंका कि शुल्क की मात्रा क्षति मार्जिन से अधिक हो सकती है, सही नहीं है। यह नोट किया जाता है कि सिफारिश की गई शुल्क की मात्रा कमतर शुल्क नियम का उपयोग करने के कारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई क्षति मार्जिन से अधिक नहीं हो सकती है, जिसके माध्यम से शुल्क की राशि पाटन और क्षति मार्जिन में से कमतर तक प्रतिबंधित की जानी है।
93. अन्य उपायों के लागू रहने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद पर कोरिया गणराज्य को छोड़कर इस जांच के किसी संबद्ध देश से आयातों पर कोई व्यापार उपचार शुल्क नहीं लगाया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केन्द्र सरकार को सिफारिश करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाएगा कि दोहरे खतरे की किसी संभावना से इंकार किया जाए।
94. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इन अनुरोधों के संबंध में कि क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की गणना के वास्ते, डीजीटीआर ने निवेश की गई पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमति दी है जो बहुत अधिक बढ़ाकर प्रस्तुत की गई है और जो कानून के अनुसार नहीं है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निवेश की गई पूंजी पर उचित आय (कर पूर्व) का संदर्भ है और निवेश की गई पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमति प्राधिकारी द्वारा सभी जांचों में प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही निरंतर परिपाटी के अनुसार दी गई है और इस विशेष जांच में उससे हटने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं है।
95. प्रयोक्ताओं के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को अनावश्यक संरक्षण दिया जा रहा है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क एक संरक्षण नहीं है बल्कि बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए केवल एक उपाय है। उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर यह दर्शाता है कि उन्होंने भारतीय बाजार में पाटन का सहारा लिया है। ये शुल्क पाटन जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, का निवारण करने के लिए लगाए जाते हैं।
96. सामान्य मूल्य और कारखाना कीमत के परिकलन के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण इस नियमावली के अनुसार और निरंतर परिपाटी के अनुसार किया गया है और पैट्रोनिका के संबंध में हानि का समायोजन भी उचित है और वह प्राधिकारी की निरंतर परिपाटी के अनुसार है। प्राधिकारी द्वारा किया गया समायोजन कंपनी द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है।
97. क्षति रहित कीमत और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के बीच तुलना के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के बार में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी कारखाना स्तर पर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर विचार करते हुए कीमत में कटौती का निरंतर रूप से निर्धारण करते रहे हैं और इस कारण से, कीमत में कटौती की गणना कारखाना स्तरों पर बिक्री कीमत पर विचार करते हुए संशोधित की गई है।

98. नपैथेलीन आधारित संबद्ध वस्तुओं को बाहर किए जाने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को खपत की गई कच्चे माल के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाता है। दोनों कच्चे मालों से उत्पादन किए गया पैन विचाराधीन उत्पाद के दायरे में है।
99. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध देशों में क्षमता का कोई विस्तार नहीं हुआ है, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति की जांच के उद्देश्य से, वह संगत नहीं है।
100. दोहरे उपचार के संबंध में किए गए अनुरोध के बारे में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर विचार किया है और तदनुसार, सिफारिशें की हैं।
101. जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए जांच के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क के माध्यम से क्षति को दूर करने से संबंधित मुद्दों का पहले ही उपर्युक्त जांच परिणामों में समाधान किया गया है। यह दोहराया जाता है कि प्राधिकारी किसी मूल जांच में जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित क्षति संबंधी मानदंडों की जांच नहीं करते हैं। इसके अलावा, किसी विशेष मूल जांच में जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों का चयनित रूप से जांच करना उपयुक्त नहीं होगा। जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए तथ्यों पर विचार करना किसी जांच में जांच की अवधि की अवधारणा की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाने के बराबर होगा। हालांकि, कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस स्थिति में प्रस्तावित शुल्कों की समीक्षा हमेशा कर सकता है जब जांच की अवधि के बाद की अवधि में इस प्रकार के बदलावों को स्थाई प्रकृति का पाया जाता हो।
102. इस अनुरोध के संबंध में कि ट्रिगर कीमत अथवा परिवर्तनशील आधार के रूप में ये शुल्क हो सकते हैं, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शुल्क के निर्धारित रूप की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं है। किसी भी मामले में, इस शुल्क को पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर तक सीमित नहीं किया जा रहा है।

ज. भारतीय उद्योग के हित एवं जनहित

103. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किया कि क्या शुल्क को लगाने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए, प्राधिकारी ने इस उत्पाद के घरेलू उद्योग, आयातकों और प्रयोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार किया है।
104. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश/प्रक्षेत्र से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
105. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संबंधित सूचना देने के लिए प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके कार्य-चालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल है। यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। दो प्रयोक्ताओं को छोड़कर, किसी भी प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है। विचाराधीन उत्पाद पर पूर्व में कुछ स्रोतों से पाटनरोधी शुल्क नहीं लग रहा था। प्रयोक्ता द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि विगत में लगाए गए शुल्कों का व्यापक रूप से प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि नपैथेलीन मार्ग से बनाए गए संबद्ध वस्तुओं का आयात व्यापक रूप से आम जनता पर इसके अपेक्षाकृत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करते हुए, जनहित में नहीं है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से नपैथेलीन से उत्पादित कम कीमत वाली संबद्ध वस्तुओं का आयात भी हतोत्साहित होगा। घरेलू उत्पादकों के पास ये क्षमताएं भारतीय मांग का लगभग 79 प्रतिशत (शुल्क रहित

आयातों के माध्यम से पूरा किए जा रहे मांग को शामिल करते हुए) को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह भी देखा गया है कि इस उत्पाद का उत्पादन अनेक देशों में किया जाता है और वर्तमान उपयोग केवल कुछ स्रोतों तक सीमित है। पर्याप्त मात्राओं में आयात अन्य देशों जैसे ताइवान, रूस आदि से हुए हैं, जिस पर कोई शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव नहीं है। घरेलू उद्योग ने भी हाल के समय में बहुत अधिक पूंजीनिवेश किया और अपनी क्षमता का विस्तार किया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से, यह देखा गया है कि इन प्रयोक्ताओं में से एक प्रयोक्ता भी भारत में नई क्षमता की स्थापना कर रहा है। इस कारण से, आयातों पर प्रयोक्ताओं की निर्भरता भी कम हो जाएगी।

106. यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है और उसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क के द्वारा कमी नहीं आएगी, विशेष रूप से जब पाटनरोधी शुल्क को लगाना घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएगा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को और अधिक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
107. शुल्कों को लगाना घरेलू उद्योग के हित में होगा जिसे पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। ये शुल्क सुनिश्चित करेंगे कि घरेलू उद्योग बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें और प्रयोक्ताओं को इन विकल्पों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो व्यापक जनहित में होगा।
108. इस प्रकार से प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क व्यापक स्तर पर जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

ट. निष्कर्ष

109. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, किए गए अनुरोधों और इन जांच परिणामों में यथा-रिकॉर्ड की गई प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए और पाटन के निर्धारण तथा इसमें ऊपर किए गए घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

- क. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है और इसके फलस्वरूप पाटन हो रहा है।
- ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

110. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव की मात्रा का निर्धारण नहीं करने, देश में बहुत अधिक क्षमता विस्तार जैसे कारकों जो मांग और आपूर्ति में कोई अंतर, भारतीय उत्पादकों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा और संबद्ध वस्तुओं पर विगत में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव के किसी साक्ष्य से नहीं होने को सुनिश्चित करेगा, तर्कसंगत रूप से यह दर्शाता है कि शुल्कों को लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

ठ. सिफारिशें

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था ताकि वे पाटन, क्षति और इस नियमावली के संबंध में उसका कारणात्मक संबंध के पहलुओं के संबंध में सूचना उपलब्ध करा सकें और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति सिद्ध

करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन और क्षति के प्रभाव को निष्क्रिय बनाने के लिए आवश्यक है।

112. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी इस नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के संबंध में पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से चीन जन.गण., इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के मूल के अथवा से निर्यात किए गए शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।
113. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी इस नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के संबंध में पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से चीन जन.गण., इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के मूल के अथवा से निर्यात किए गए शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। हालांकि, कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर, प्राधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई पाटनरोधी शुल्क की मात्रा और दिनांक 18 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 44/2020-सीमा शुल्क के अनुसार भुगतान योग्य शुल्क, यदि कोई हो, के बीच अंतर के समतुल्य केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
114. इस उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क और सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के लागू स्तर के अनुसार आकलन योग्य मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	संबद्ध वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई	40.08	एमटी	यूएसडा.
2	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	40.08	एमटी	यूएसडा.
3	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया. सहित कोई देश	पी.टी. पेट्रोविडाडा	59.83	एमटी	यूएसडा.
4	29173500	थैलिक	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया.	कोई अन्य	90.11	एमटी	यूएसडा.

		एनहाइड्राइड		सहित कोई देश				
5	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के अलावा कोई देश	इंडोनेशिया	कोई	90.11	एमटी	यूएसडा.
6	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	एक्यूंग पैट्रोकेमिकल्स	41.26	एमटी	यूएसडा.
7	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	हन्वा साल्युशन कारपोरेशन	41.64	एमटी	यूएसडा.
8	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	कोई अन्य	140.17	एमटी	यूएसडा.
9	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	चीन जन.गण., इंडोनेशिया और थाइलैंड के अलावा कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	140.17	एमटी	यूएसडा.
10	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	कॉन्टीनेंटल पैट्रोकेमिकल्स कं. लिमिटेड	63.06	एमटी	यूएसडा.
11	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	कोई अन्य	134.91	एमटी	यूएसडा.
12	29173500	थैलिक एनहाइड्राइड	चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया के अलावा कोई देश	थाइलैंड	कोई	134.91	एमटी	यूएसडा.

ड. आगे की प्रक्रिया

115. केन्द्र सरकार के इस आदेश जो इस सिफारिश के कारण हो सकता है, के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 19th May, 2021

Case No. ADD-OI-11/2020**Subject: Anti-dumping investigation concerning the imports of Phthalic Anhydride (PAN) originating in or exported from China PR, Indonesia, Korea RP and Thailand.****F. No. 6/16/2020-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. IG Petrochemicals Limited, SI Group India Private Limited and Thirumalai Chemicals Limited (hereinafter also referred to as the “applicants”) filed an application before the Designated Authority in accordance with the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Phthalic Anhydride (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”)
2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 13/2020–DGTR dated 21st May 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act, read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation: -
 - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 21st May 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning the import of subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject countries, through its Embassies in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject countries, through its Embassies in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.
 - e. The Authority also forwarded copy of the notice to known producers/ exporters from the subject countries, known importers/users in India and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within time limit given in the initiation notification.
 - f. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from its countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the

- letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the Embassies along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- g. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
- i. Anhui Tongling Chemical Industry Group Co., Limited, China PR
 - ii. Jiangsu Sanmu Group Co., Limited, China PR
 - iii. Shanghai Coking and Chemical Corporation, China PR
 - iv. Sea trade International Inc., China PR
 - v. Zhenjiang Union Chemical Industry Co., Limited, China PR
 - vi. Taizhou Union Chemical Industry Co., Limited, China PR
 - vii. Petrowidada, Indonesia
 - viii. PT Worldwide Resins & Chemicals, Indonesia
 - ix. L.G. Petrochemical Co. Limited, South Korea
 - x. Aekyung Petrochemical Co. Limited, South Korea
 - xi. Humade Corporation, South Korea
 - xii. Raystar Corporation, South Korea
 - xiii. Polmac Co. Limited, South Korea
 - xiv. Asia Chemical Co. Limited, Thailand
 - xv. Methyl Co. Limited, Taiwan
 - xvi. Troy Siam Co. Limited, Thailand
 - xvii. Nan Ya Plastics Corporation, Taiwan
 - xviii. Union Chemical Ind Co Limited, Taiwan
 - xix. UPC Technology Corporation, Taiwan
- h. In response to the above notification, following foreign producers and their related exporters/traders have submitted the exporter questionnaire responses: -
- i. Hanwha Solution Corporation, Producer, Korea RP
 - ii. Everlite Korea Limited, Exporter, Korea RP
 - iii. Minjin Corporation Limited, Exporter, Korea RP
 - iv. Aekyung Petrochemical, Producer, Korea RP
 - v. Canko Marketing Inc, Exporter, Korea RP
 - vi. Humade Corporation, Exporter, Korea RP
 - vii. Hyundai Corporation, Exporter, Korea RP
 - viii. Polychem Asia Co. Ltd., Exporter, Korea RP
 - ix. Raystar Corporation, Exporter, Korea RP
 - x. PT Petrowidada, Producer, Indonesia
 - xi. PT Petronika, Exporter, Indonesia
 - xii. Continental Petrochemicals (Thailand) Co Limited, Producer, Thailand
- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
- i. KLJ Plasticizers Limited
 - ii. Mazda Colors Limited
 - iii. PCL Oil & Solvents Limited
 - iv. Lona Industries Limited
 - v. Silvassa Plast
 - vi. Aarti Industries Limited
 - vii. Mechemco Industries Limited
 - viii. Rachna Plasticizers Limited
 - ix. Micro Inks Limited
 - x. Phthalo Colors & Chemicals (I) Limited

- xi. Ramniklal S. Gosala & Co. National Limited
- xii. Heubach Colour Private Limited
- xiii. Sanman Trade Impex Private Limited
- xiv. Pertochem Middle East (India) Private Limited
- xv. Amjeys Chemicals Private Limited
- xvi. A-One Chern Trade Private Limited
- xvii. Sanjay Chemicals (India) Private Limited
- xviii. Hazel Mercantile Limited
- j. In response to the above notification, following importers/users have submitted questionnaire responses:
 - i. KLJ Plasticizers Limited.
 - ii. Payal Polyplast Private Limited.
- k. Further, the following interested parties have filed legal submissions during the course of the investigation: -
 - i. Indonesian Government.
 - ii. Indian Plasticizers Manufacturers Association
 - iii. Sandeep Organics Private Limited.
 - iv. Polyester Resin Manufacturers Association
- l. Exporters, foreigner producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- m. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- n. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
- o. The period of investigation for the purpose of the present investigation has been considered from April, 2019 to March, 2020 (POI). The injury investigation period has been considered as the period from April 2016 to March 2017, April 2017 to March 2018 and April 2018 to March 2019 and POI.
- p. Additional/supplementary information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Desk Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- q. The Non-injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- r. Information obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise import data for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
- s. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 17th March 2021, which was attended by various parties. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special

circumstances arising out of the COVID- 19 pandemic. All the parties who attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinders, if any. The arguments made in such written submissions and/or rejoinders received from the interested parties have been considered, to the extent deemed necessary, for the purpose of these final findings.

- t. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- u. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- v. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 7th May, 2021 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- w. *** in the final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- x. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is 1 US\$= Rs. 71.65

C. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as: -

“The product under consideration in the present application is "Phthalic Anhydride" (PAN). Phthalic Anhydride (PAN) is an anhydride of Phthalic Acid and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene. It is a colorless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. Specifications of Phthalic Anhydride includes its physical appearance, color of solid flakes, color of molten product, solidification point, Phthalic Anhydride content by weight, other anhydrides & organic impurities' content by weight and acidity index.

The product under consideration is classified under chapter 29 of Customs Tariff Act, 1975 and subheading 29173500. The custom classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.”

Submissions made by the domestic industry.

5. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration: -
- a. The product under consideration is Phthalic Anhydride produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene. The product is used to produce Phthalate esters, which function as plasticizers and hence are an important chemical intermediate in plastic industry.
 - b. The product is classified under custom heading 2917 35 00 of the Customs Tariff Act, 1975.
 - c. The goods produced by the domestic industry are like article to the imported goods as they are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods, and are technically and commercially substitutable. There is no known significant difference in the technology employed by the domestic industry and the producers in subject countries.

- d. Bio succinic acid is a substitute for succinic acid only. Succinic acid is made from Maleic acid and is no way connected to the product under consideration.
- e. Molten form of product under consideration can be provided by domestic industry.
- f. Production of Phthalic Anhydride from Naphthalene does not occur in India due to the toxicity levels. Domestic industry is producing Phthalic Anhydride using orthoxylene.

Submissions made by other interested parties.

6. Submissions made by other interested parties with regard to product under consideration are as follows: -
 - a. Examination is required if bio succinic acid can be used as a substitute of product under consideration.
 - b. Producers in subject countries can make molten form of product under consideration as well.
 - c. Demand is high for orthoxylene based product under consideration.

Examination by the Authority

7. The submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to product under consideration have been examined and addressed hereunder. The product under consideration in the present investigation is Phthalic Anhydride which is an intermediate chemical for the plastic industry.
8. The Authority has considered the product under consideration as under:

"The product under consideration in the present application is "Phthalic Anhydride" (PAN). Phthalic Anhydride (PAN) is an anhydride of Phthalic Acid and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene. It is a colorless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. Specifications of Phthalic Anhydride includes its physical appearance, color of solid flakes, color of molten product, solidification point, Phthalic Anhydride content by weight, other anhydrides & organic impurities' content by weight and acidity index."

The product under consideration is classified under Customs tariff heading 29173500 of chapter 29 of Customs Tariff Act, 1975. The custom classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation."

9. It has been noted from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to product under consideration imported from subject countries. The product produced by the domestic industry, and subject goods imported from subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority therefore notes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product imported from subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions made by the domestic industry.

10. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing: -
 - a. The production of the applicants account for entire production in India.
 - b. There was one more producer of the subject goods in India, Asian Paints India Limited, who have permanently shut down their plant in July 2017.

- c. The applicants have not imported the subject goods from the subject countries and are not related to any exporter in the subject countries or importer of subject goods in India.
- d. The applicants satisfy the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

Submissions made by other interested parties.

- 11. The other interested parties have not made any submission with regard to domestic industry.

Examination by the Authority

- 12. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term „domestic industry” may be construed as referring to the rest of the producers”.

- 13. The application has been filed by IG Petrochemicals Limited, SI Group India Private Limited, and Thirumalai Chemicals Limited. Asian Paints limited have shut down their plant in 2017 and there are no other existing producers of the subject goods in India. The applicants have not imported the subject goods from subject country and are not related to any exporter in the subject country or importer of subject goods in India.
- 14. Accordingly, the Authority holds that the applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Submissions made by the domestic industry.

- 15. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry: -
 - a. All responding exporters have claimed excessive confidentiality. Producers have claimed complete answers to some of the questions as confidential and have not provided any meaningful summary for it.
 - b. Respondents have failed to provide the desired information in the prescribed formats. Aekyung Petrochemical Co. Ltd. has not provided the trend of data for last three years with respect to cost of sales, selling price and PBIT per unit.
 - c. PT Petrowidada, PT PETRONIKA and Continental Petrochemicals Company Limited have provided the data for the period of investigation and the three years of 2016, 2017 and 2018 but the data for the period January 2019 to March 2019 is missing from the response.
 - d. Data should have been filed by the respondents on April-March basis but has been provided on Jan.-Dec. basis. Designated Authority should not have accepted such data from the domestic industry.
 - e. Minjin Corporation and Everlite Korea Co. Ltd. have claimed the majority of the information in Appendix 1 as confidential.
 - f. Thirumalai Chemicals Limited is expanding capacity with 120,000 MT, out of which a plant for around 24,000 MT has commenced commercial production. IG Petrochemicals Limited has expanded capacity by 53,000 MT commercial production has begun. M/s KLJ Plasticizers Limited is also setting up a new plant of 200 KT.
 - g. Once the capacity expansion in India is complete, the capacity in India will be much more than the projected demand in India for at least next few years and will provide a boost towards making India self-reliant.

- h. Applicants are not demanding any form of duty which will lead to dual remedy under the law. If injury margin is higher than bilateral measures, anti-dumping duties may be imposed only for the margin equal to difference. In case, injury margin determined is lower than bilateral measures, Authority may consider suspension of application of anti-dumping duties on the imports from Korea RPtill bilateral measures are in place.
- i. Rule does not require the authority to use injury margin for the purpose of determining the amount of anti-dumping duty. Authority can recommend duty between dumping margin and injury margin. Even Annexure III does not state that anti-dumping duty shall be the difference between NIP and landed price of imports. Authority is requested to examine whether present rule prohibits consideration of duties for the month having highest injury margin.
- j. Share of representation of users should be considered before examining any arguments on the impact of duties. Only two users have filed questionnaire response in the present investigation. The fact that only two users have participated shows the minimal impact of duties on the end users.
- k. Unless users establish adverse impact of duties, Authority is requested to kindly not consider any submission on adverse impact of duties.
- l. There are 3 producers of the subject goods in India and therefore the domestic industry will anyways be required to compete inter se as well as with the imports from all sources. Therefore, the possibility of monopoly of the domestic industry can be ruled out.
- m. There have been multiple trade remedial investigations on the product under consideration in the past where duties have been levied. However, the user industry has never been able to substantiate that imposition of duties have adversely affected the consumer industry.
- n. Even after imposition of duties on the subject goods, demand has increased and users have remained unaffected. Users have not been able substantiate any adverse effect of the duties, if any, suffered by them.
- o. The term public interest does not limit itself to the consumer industry alone and is in fact a much wider term which covers in its ambit the domestic industry of product under consideration as well.
- p. Indian industry has made huge capital investments for the subject goods and if the duty is not imposed and dumping continues to take place, it will cause huge losses on all the investments made in the industry.
- q. On the submission of blockage of imports, it is submitted that anti-dumping duty or safeguard duties are imposed after a complete quasi-judicial investigation after considering submissions by all the parties.
- r. Any form of measure is not intended to block imports but to just ensure that imports are entering at prices which are not injurious to the domestic industry.
- s. BIS is a quality standard applicable to all. It is highly improper on the part of the users to say that BIS is being used to monopolize the market when they will be the actual beneficiary of the quality of subject goods.
- t. On the issue of imports happening due to demand and supply gap, it is stated that though applicants can cater around 80% of the demand, yet their share have been left restricted to only 57%. Further, demand and supply gap cannot justify dumping.
- u. On the issue of confidentiality, it is submitted that complete information that is relied on by the Authority for injury examination has been provided. Respondent should first establish what prejudice has been caused by non-disclosure of purchase and sales policy.
- v. As regards public interest, it is submitted that imposition of anti-dumping duties will definitely be in interests of domestic industry, as dumping prevents the domestic industry from selling the goods at remunerative prices. Low priced imports of Phthalic Anhydride have led to different measures in different countries over the last 20 years. However, the users have remained unimpacted due to these measures as they have passed on the duties to their buyers.

- w. On the contention that the anti-dumping duties will make the Phthalate industry unviable, users should provide information with regard to number of users who have shut down their plants in past 20 years.
- x. Imports were taking place due to demand supply issues in India and the Indian users have already shifted to Indian producers as highlighted by TCL in their annual report.

Submissions made by other interested parties.

16. Other interested parties have made following miscellaneous submissions: -
 - a. PAN manufacturers are forming a cartel and blocking imports either by anti- dumping duty or by safeguard duty for last 20 years. Domestic industry has got PUC covered under mandatory BIS specification to block imports.
 - b. PAN manufacturers stop responding to customer inquiries or start quoting arbitrarily high prices, compelling users to imports and later use this for seeking protective duties.
 - c. User industry competes with imports with nil rate of duty. Imposition of anti- dumping duty will make the Phthalate industry unviable. Producers of Phthalic Anhydride enjoy advantage of 2.5% due to low import duty on input.
 - d. Supreme Court in case Bihar V Kameshwar Singh has noted that expression “public interest” is not capable of any precise definition and does not have a rigid meaning.
 - e. Supreme Court of India in Haridas Exports Vs. All India Float Glass Mfrs. Association opined that availability of goods outside India at prices lower than those which are indigenously produced would encourage competition amongst the Indian industry and would not per se result in eliminating the competition.
 - f. Domestic industry cannot seek dual remedy on same injury as imports of Phthalic Anhydride from Korea RP already attract bilateral safeguard measures.
 - g. Serious injury to the domestic industry has already been addressed by way of safeguard duty.
 - h. Non-confidential version of the application fails to meet the standards laid down in Rule 7 and Trade Notice no. 1/2013.
 - i. Response to Section VI of the application has been claimed completely confidential.
 - j. Applicants are unable to fulfil the demand in the country and the imports are due to demand and supply gap.
 - k. Domestic industries have applied for BIS certification in imports but has not declared in their NCV.
 - l. Detailed expansion plans, cost etc are not provided by domestic industries in their NCV.
 - m. Minjin Corporation and Everlite have provided requisite details as per Trade Notice and provided the necessary information in indexed form to the extent applicable to these companies as traders.
 - n. Domestic Industry has failed to identify exact information for which Hanwha has claimed excess confidentiality and simply enclosed non-confidential response.
 - o. Hanwha International India and Hanwha Q CELLS Corp are not involved in the marketing and sales of product under consideration in India market.
 - p. Rules have not put any thresholds of locus if users have to raise their issues. The view of users has same weightage under the Rule. Association participating here represent interests of many users.

Examination by the Authority

17. The Authority has considered the views of all the interested parties as under: -
 - a. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-

confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

- b. Demand supply gap in the country does not bar domestic industry from seeking redressal from dumped imports. Demand-supply gap does not justify dumping. The information on record shows that the domestic industry has expanded capacity. Further, documentary evidence has been provided showing that KLJ Plasticizers Limited is in the process of setting up capacity of around 200 KT. Foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at undumped prices. Even after the imposition of antidumping duty, the imports are not restricted in the country. Imposition of anti-dumping duty provides level playing field and does not prevent fair competition in the market.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

18. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."

Submissions of the Domestic industry

19. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- a. Normal value of Chinese producers cannot be accepted unless the producers show that their accounts reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration, having regard to the provisions of Rule 7 and 8 of the Rules, provisions of Accession Protocol of China, and the practice being followed by the Designated Authority.
- b. Due to involvement of third countries into dumping practices, it is difficult to choose a market economy country for the purpose of normal value in the present investigation. Normal value for China, can be considered on the basis of price actually paid or payable in India, duly adjusted to include a reasonable profit margin.
- c. Prices of producers in the subject countries are confidential information and hence are not available in the public domain.
- d. As per customs data, imports of subject goods in Indonesia and Korea RP were not reported. With respect to imports of subject goods in Thailand, they are from China and India and cannot be relied on.

- e. Exports to third countries from Indonesia are not significant and cannot be considered for normal value.
- f. Significant variation in the export prices from the subject countries to different countries makes the export prices unreliable.
- g. Dumping margin in some of the months is significantly higher than the average dumping margin.
- h. Korean companies, particularly Aekyung Petrochemical Company Limited, have been buying their raw materials from one source only since years and have entered into some kind of arrangements with the raw material suppliers. Due to this, Korean producers' raw material prices are not comparable to international price. The arrangement has resulted in a particular market situation in Korea.
- i. Raw material purchase prices of PAN producers corroborate very well with prices published in leading journal. However, for Korean producers, the prices are not aligned to the international prices. Instead, the prices are different and lower than international prices.
- j. Korean producers gave no evidence in the previous investigations to establish that their prices are fully aligned to the prevailing prices. Even at the time of hearing, the argument of the Korean producers was that the domestic industry has no evidence. However, when the evidence concerns the purchase-sale price between the Korean OX-PA producers, it is natural that the document is not with the domestic industry.
- k. Reference is drawn to the decision of Hon'ble Court in case Haldor Topose, Though the observation of this Court was with reference to a proceeding in a court of law, it is equally applicable to the investigation conducted by the Authority which has duty of appreciating evidence placed before it and has statutory authority of drawing adverse inference in the circumstances enumerated in Rule 6(8).
- l. Price trend of the Korean producers should be compared with the import and export price of raw material.
- m. Producers have claimed that their raw material suppliers are unrelated parties. The applicants in this regard submit that relationship is limited not only to legal relationships but also extends to commercial relationship.
- n. As per Trade Notice: 09/2018 dated 10th May 2018 it is clear that the all the parties, transactions with which can affect the pricing behavior of the producers, are covered within the scope of related party.
- o. If the producers are exporting their product at prices below the prices in their own country, they cannot rely on ICIS prices or global market prices for dumping Either there is some kind of arrangement between producers and their raw material suppliers or books of accounts of the producers do not reflect the true value of the transaction.
- p. In previous anti-dumping investigation, Aekyung had filed response along with 5 related exporters. Out of the 5 exporters in the previous investigation, Woori P&C Corporation and Ubesco Corporation have not participated in the current investigation. If it is found that there have been exports to India through the related entity as well, the response filed is deficient making it liable to be rejected.
- q. Hanwha Solution Corporation has three related entities in India, Hanwha Chemical India Private Limited, Hanwha International India Private Limited and Hanwha Q CELLS Corp. but has only disclosed name of Hanwha Chemical India Private Limited in their response. All three companies are involved in operations of marketing and sales and, therefore, there was a need for them to file response.
- r. If the producers are exporting their product at prices below the prices in their own country, they cannot rely on ICIS prices or global market prices for dumping. Relevant criteria is if producers are exporting their product at dumped prices. There is a significant fall in price of imports from the subject countries and the response of the producers will show dumping.

Submissions made by other interested parties.

20. The submissions made by the interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - a. In all previous investigations, Aekyung and its traders have never been found to be dumping the

- goods in the Indian market. Authority is requested to terminate the investigation against the imports of Aekyung.
- b. Domestic industry has made unverified allegations against Aekyung but has not provided any evidence for it. Similar allegations were made in the earlier investigations as well, which were outrightly rejected by Authority.
 - c. Foreign manufactures / producers offer prices for PUC as per ICIS report.
 - d. Hanwha purchases raw material from domestic producers on monthly formula basis decided on the basis of weekly CFR price negotiated based on the market conditions.
 - e. Domestic Industry's argument regarding related parties does not apply as Hanwha purchased raw materials only from unrelated parties at arm's length price during the period of investigation.
 - f. Domestic industry's reliance on the Designated Authority v. Haldor Topsoe judgement is incorrect as judgment makes it clear that the obligation applies only if a party has evidence in its possession. Hanwha has provided all the necessary documents.
 - g. Aekyung buys the raw material at fair prices, comparable to international prices. Since the location of Aekyung is near to these suppliers, Aekyung has a little benefit of low transportation cost and the same is reflected in its pricing.
 - h. Aekyung is mainly purchasing raw material from SK Global Chemical and Lotte Chemical in Korea and from JX Nippon Oil & Energy in Japan. Since supply is limited, it is not possible to purchase raw material from one supplier alone.
 - i. Price of PLATTS OX from China PR during the period of April, 2019 to March, 2020 remain within the range of purchase of Hanwha from SK, Lotte and Nippon Oil & Energy.
 - j. Aekyung does not fall in the definition as cited by the applicants as both seller and buyer are not having any exclusive arrangement and the suppliers are free to sell their products to whosoever they want.
 - k. On the submission of the domestic industry that Woori, P&C Corporation and Ubesco Corporation have not participated in the present investigation, it is submitted that Aekyung has not exported through them to India.

Examination by the Authority

21. The Authority notes that the following producers of the subject goods have filed exporter's questionnaire response: -
 - a. Hanwha Solution Corporation, Korea RP along with its exporters Everlite Korea Limited and Minjin Corporation Limited.
 - b. Aekyung Petrochemical, Producer, Korea RP along with its exporters CankoMarketing Inc, Humade Corporation, Hyundai Corporation, Polychem Asia Co. Ltd.
 - c. PT Petrowidada, Indonesia along with its exporter PT Petronika.
 - d. Continental Petrochemicals (Thailand) Co Limited, Thailand.
22. Raystar Corporation, Korea RP has filed an incomplete response. The Authority has therefore, rejected the response filed by it.

Determination of normal value

I. Normal Value determination in China PR. Market Economy Status for Chinese Producers

23. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under

investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

24. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

25. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

26. The Authority holds to determine normal value on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The normal value so determined is given below in dumping margin table.

II. Normal Value determination for Indonesia.

PT Petrowidada

27. PT Petrowidada is engaged in the production of subject goods in Indonesia and has sold the subject goods directly in the domestic market. During the POI, PT. Petrowidada, Indonesia, has sold *** MT of the subject goods for *** US\$ in the domestic market to unrelated and related parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions of unrelated parties with reference to the cost of production of subject goods. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are to be considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are to be taken into consideration for the determination of the normal value. With regard to PT. Petrowidada, Indonesia, since the profit-making sales are more 80%, the Authority has considered all domestic sales to determine the normal value. PT. Petrowidada, Indonesia, has claimed adjustment on account of inland transportation, credit cost, packing expenses and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for PT. Petrowidada, Indonesia, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other non-cooperating producers/exporters in Indonesia

28. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Indonesia has been determined on the basis of facts available and the same is mentioned in the Dumping Margin Table below.

III. Normal Value determination for Korea RP.

Aekyungpetrochemical Co. Ltd.

29. Aekyung Petrochemical Co. Ltd. is engaged in the production of subject goods in Korea RP. During the POI, Aekyung Petrochemical Co., Ltd., Korea RP, has sold *** MT of the subject goods for *** KRW in the domestic market to unrelated and related parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are to be considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are to be taken into consideration for the determination of the normal value. With regard to Aekyung Petrochemical Co., Ltd., Korea RP, since the profit-making sales are less than 80%, the Authority has considered only profit-making domestic sales to determine the normal value. Aekyung Petrochemical Co., Ltd., Korea RP, has claimed adjustment on account of inland transportation, credit cost, packing expenses etc. and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for Aekyung Petrochemical Co., Ltd., Korea RP, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Hanwha Solutions Corporation

30. Hanwha Solutions Corporation ("HSC"), cooperating producer and exporter from Korea RP, is engaged in the production of subject goods in Korea RP. It is noted that during the POI, HSC has sold the PUC to both related and unrelated domestic customers. The Authority notes that HSC sold *** MT of the PUC to unrelated customers and *** MT of the PUC to related customers in the domestic market. The domestic sales are found to be in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal

value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the proportion of profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are to be considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are to be taken into consideration for the determination of the normal value. On conducting ordinary course of trade test, the Authority notes that ***% of the sales transactions in the domestic market is found to be profitable. Therefore, the Authority has considered only the profitable sales made in the domestic market for the determination of the normal value. HSC claimed adjustments on account of inland freight, packing cost and credit cost. The Authority has accepted all the adjustments claimed by HSC. The normal value at ex-factory level for HSC has been determined accordingly, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other non-cooperating producers/exporters in Korea RP

31. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Korea RP has been determined based on facts available and the same is mentioned in the Dumping Margin Table below.

IV. Normal Value determination in Thailand.

Continental Petrochemicals (Thailand) Co Ltd.

32. Continental Petrochemicals (Thailand) Co Ltd has produced and sold the goods directly in the domestic market. During the POI, Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd. Thailand, has sold *** MT of the subject goods for *** THB in the domestic market to unrelated and related parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are to be considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are to be taken into consideration for the determination of the normal value. With regard to Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd. Thailand, since the profit-making sales are less than 80%, the Authority has considered only profit-making sales to determine the normal value. Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd. Thailand, has claimed adjustment on account of inland transportation, credit cost, etc. and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd. Thailand, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other non-cooperating producers/exporters in Thailand

33. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Thailand has been determined based on facts available and the same is mentioned in the Dumping Margin Table below.

Determination of Export Price

I. Producers/exporters from China PR

34. The Authority notes that none of the producer/exporter from China PR have filed exporter questionnaire PR. The export price for China PR has been determined based on facts available considering due adjustments for ocean freight, marine insurance, credit cost, inland & port charges and the same has been mentioned in the Dumping Margin Table below.

II. Producers/exporters from Indonesia

PT Petrowidada

35. During the period of investigation, PT. Petrowidada, exported *** MT of the subject goods for *** US\$ to India through a related trader namely PT. Petronika, Indonesia. PT Petrowidada has not made any direct sales to the Indian market. PT Petronika has directly sold the goods to unaffiliated

customers in India. The quantity reported by the producer and exporter has been adopted by the Authority as exports to India by PT Petrowidada for determining the export price. The producer and exporter have claimed adjustment on account of credit cost and packing expenses for arriving at the ex-factory price and the same has been allowed by the Authority. Accordingly, the export price of PT Petrowidada has been determined based on the weighted average export price and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other non-cooperating producers in Indonesia.

36. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been determined based on facts available considering due adjustments of expenses and the same has been mentioned in the Dumping Margin Table below.

III. Producers/exporters from Korea RP

Aekyung Petrochemical Co. Ltd.

37. Aekyung Petrochemical Co., Ltd., who is a producer and exporter of the subject goods in Korea RP, has filed questionnaire response. During the POI, Aekyung Petrochemical Co., Ltd., exported *** MT of the subject goods for *** US\$ to India directly and through four unrelated traders namely Canko Marketing Inc., Korea RP, Humade Corporatio, Korea RP, Hyundai Corporation, Korea RP and Polychem Asia Co., Ltd., Korea RP. Aekyung Petrochemical Co., Ltd., Korea RP, Canko Marketing Inc., Korea RP, Humade Corporatio, Korea RP, Hyundai Corporation, Korea RP and Polychem Asia Co., Ltd., Korea RP, have provided all the relevant information in requisite format. Aekyung Petrochemical Co., Ltd., has claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, credit cost, packing expenses, and duty drawback. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Aekyung Petrochemical Co., Ltd., Korea RP has been determined after allowing the adjustments claimed, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Hanwha Solutions Corporation

38. The Authority notes that Hanwha Solutions Corporation "HSC" has exported a quantity of *** MT directly to Indian customers and has exported a quantity of *** MT through multiple traders. The Authority also notes that two of these traders namely Everlite Korea Co., Ltd. ("Everlite"), and Minjin Corporation Ltd ("Minjin") accounting for approximately ***% of the total sales made by HSC to India, have fully cooperated in the present investigation. Therefore, the cooperating channels account for ***% of HSC's total exports to India during the POI. The quantities reported by HSC, Everlite and Minjin have been considered for the purpose of determining export price.

HSC, Minjin and Everlite have made exports to India at CIF terms, and have accordingly claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, handling charges, brokerage, marine insurance, packing cost, credit cost, bank charges, commission, demurrage and detention charges. In addition, the Authority has assessed the profitability of both traders and has found them to be loss-making, and has accordingly made adjustments in the export price. Accordingly, the export price for Hanwha has been determined based on the weighted average export price to India from all the channels, and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other non-cooperating producers in Korea RP

39. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been determined based on facts available and the same has been mentioned in the Dumping Margin Table below.

IV. Producers/exporters from Thailand

Continental petrochemicals (Thailand) Co Ltd.

40. During the period of investigation, Continental Petrochemicals (Thailand) Co Ltd., who is a producer and exporter of the subject goods in Thailand, has exported *** MT of the subject goods for *** USD to India directly to unrelated parties in India. The sales to Indian customers are on CIF and CFR basis. Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd., has provided all the relevant information in requisite format. Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd., has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation and credit cost, which have been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd., has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other non-cooperating producers in Thailand

41. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation

has been determined based on facts available and the same has been mentioned in the Dumping Margin Table below.

42. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins have been determined as follows:

S.No.	Particulars	Normal Value (\$/MT)	Ex-factory export price (\$/MT)	Dumping Margin (\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (%Range)
1	China PR					
	Any	***	***	***	***	20-30
2	Indonesia					
a	PT. Petrowidada	***	***	***	***	0-10
b	Any other	***	***	***	***	10-20
3	Korea RP					
a	Aekyung Petrochemical	***	***	***	***	0-10
b	Hanwha Solution Corporation	***	***	***	***	0-10
c	Any other	***	***	***	***	20-30
4	Thailand					
a	Continental Petrochemicals Co Limited	***	***	***	***	10-20
b	Any other	***	***	***	***	20-30

G. INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made by the domestic industry

43. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- Demand has increased over the injury period by around 19%.
 - Imports from subject countries have increased from 49,579 MT in the year 2016- 17 to 1,35,564 MT in the period of investigation.
 - Imports in relation to production and consumption were 17% and 15% respectively in the year 2016-17 but have increased to 50% and 34% in the period of investigation.
 - Import prices from the subject countries are below selling prices of the domestic industry, thus resulting in positive and significant price undercutting.
 - The imports are suppressing the prices of the domestic industry in the market.
 - Production and capacity utilization increased in 2017-18 but declined thereafter significantly.
 - Domestic sales increased till 2018-19 but declined thereafter significantly.
 - The increase in subject imports is significantly higher as compared to increase in demand in the period of investigation and have taken up the market share of the domestic industry.
 - The domestic industry is faced with significant inventory pile up. Decline in market share when inventories increased clearly shows adverse effect of dumped imports on the performance of the domestic industry.
 - Domestic industry was in profits in the year 2016-17, which have drastically declined in period of investigation and has resulted in decline in cash profit, profit before interest and tax and return on investment.
 - Growth of the domestic industry has been negative.
 - Domestic industry is in the process of expanding its plant capacity and will definitely face difficult situation in raising the funds if the operations suffer so significantly.
 - Capacity in China and Korea are significantly higher than demand in countries and producers will always look for market opportunities to utilise the idle capacities.
 - For Indonesia and Thailand, a very high share of production has been used for export which shows

- that producers have set up their capacities for export market.
- o. Faced with the issue of surplus and idle capacities, the producers in the subject countries are keeping their prices in the export market lower than the market prices.
 - p. Ratio of price of finished goods to raw material prices is low for subject countries in comparison to average world level.
 - q. Indian market is a primary market for the producers in the subject countries due to increasing demand in India and search for cheap source of inputs by the users.
 - r. There has been a significant fluctuation in the price of subject goods over the period of investigation. Therefore, it is necessary that the impact of imports is analysed on monthly basis.
 - s. Adverse performance in exports is on account of injury due to dumped imports in country and could be considered as one of factors showing injury to the domestic industry.
 - t. Injury margin may be compared by adding freight as consumers decide their purchases and negotiate the prices with the suppliers on the basis of comparison of landed price of imports in their factory warehouse.
 - u. Catalyst is changed every 27-30 months. The year in which it is changed, witnesses high efficiency in plant in terms of production and utilization of raw material and utilities, which subsequently starts declining. Therefore, considering higher production and lower consumption for such a year for determination of NIP will not be appropriate.
 - v. Examination of post period of investigation data is warranted in case of a sunset review investigation and not in any fresh anti-dumping investigation. Therefore, there is no need to consider post period of investigation data.
 - w. On the submission of producers not responding to customer queries, Authority is requested to demand any verifiable document in support of claim. Domestic industry is operating with idle capacities, high inventories and was constrained to export significant volumes, there is no reason why it would not entertain the customer queries unless prices expected are abysmally low or unreasonable.
 - x. On the submission of injury claimed in bilateral safeguard and anti-dumping investigation, the issue has already been dealt by the Authority's finding in the bilateral safeguard investigation. Reason for low priced imports can be dumping, subsidy or tariff concession and law does not bar applicants from requesting an examination of reason for increase in low priced imports.
 - y. On the submission of statements made in the annual reports, interested parties have cherry picked statements from annual reports. Two of the three applicants have highlighted in their annual reports that the current performance has been impacted due to dumping of goods in the Indian market.
 - z. On the submission of domestic industry enjoying advantages, it is submitted that even when domestic industry has these "advantages", its performance is poor which shows vulnerability to dumped imports.
 - aa. On the submission of additional information, information with respect to capacity revamp, delay in planned capacity expansions etc are provided in the annual report of the companies which are part of the application.

Submissions made by other interested parties.

44. The submissions made by other interested parties with regard to injury are as follows:
 - a. Increase in landed price of imports from Korea RP is higher than increase in selling price of domestic industry and therefore there is no price affect.
 - b. The capacity utilization has remained at a healthy level of 85% and a minor fall in production and profitability in the period of investigation is due to other factors such as flash storms, flood, shrinkage in margins and other raw material.
 - c. The sales of the domestic industry have declined marginally in the period of investigation due to increase in sales return.
 - d. The export performance has deteriorated sharply which could have impacted domestic industry's performance.
 - e. Share of imports from subject countries has increased due to decline in share of countries attracting anti-dumping duty.

- f. Period of injury in the present investigation overlaps with the period in case of Bilateral Safeguard Investigation wherein the cause of injury was elimination of custom duties only.
- g. Post period of investigation performance of the domestic industry shows a tremendous turnaround. Post period of investigation is very relevant in examination of causal link and should not be set aside by saying that it not relevant in fresh investigation.
- h. Discussions in TCL's annual report of 2019-20 shows that all past issues which impacted its performance are non-existent now.
- i. Imports more than essential took place only in the year 2017-18 when the applicants registered return of 50-60%.
- j. In year other than 2017-18, actual imports – essential imports is negative which shows that users prefer to procure domestically and import only the rest.
- k. Current returns of the domestic industry are corrections from past returns in the range of 50-60% earned by domestic industry.
- l. Phthalic Anhydride manufacturers enjoy several advantages in form of nil rate of duty on raw material, abundance supply of raw material, and production process which leads to surplus power generation.
- m. Indian producers have enjoyed protection of duty for past 20 years but have not expanded capacity.
- n. In oral meeting, domestic industries have agreed to export to middle east. It clearly shows their export prices are cheaper than others.
- o. Foreign manufacturers have sufficient export opportunities; the export prices indicate a dynamic market globally; with price realization not dissimilar to that obtained in india.
- p. Domestic industry should provide details with regard to cost for capacity revamp, delays in planned capacity expansion, planned short term shutdown, covid 19 effect etc.
- q. End users import from non-FTA countries such as China & South Korea under advance authorization.
- r. Yield and demand for product made from orthoxylene is better than naphthalene.
- s. Performance of domestic industry in pre period of investigation and post period of investigation shows that performance of domestic industry has been good. Isolated price injury during the period of investigation is not due to dumping or imports but is self-engineered with sole purpose of filing application.
- t. There is turnaround working completely in favor of the PAN producers. There is overall economic improvement, and no duty should be even contemplated.
- u. Performance of the petitioners during the injury period is also very robust and no sign of injury is evident.
- v. Volume parameters remained sluggish due to the internal issues of the applicants as highlighted in their annual report.
- w. To take advantage of good demand of PAN in India, domestic industry is adding new capacities. Had there been any threat to domestic industry they would not have announced new capacity addition.
- x. The claim to examine monthly price movement is only to camouflage the absence of injury and not monthly analysis but post POI analysis of injury is relevant in the facts of the present case.
- y. Applicants are focused on export market much and to grab more export market, such lower prices are offered.
- z. Claim to consider freight in NIP has been rejected in many investigations in the past in line with the Rules and a similar approach needs to be taken here also.

Examination by the authority

45. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

Cumulative assessment

46. Article 3 of WTO agreement and Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
47. The Authority notes that:
 - a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
48. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from China PR, Indonesia, Korea RP and Thailand on the domestic industry.
49. Rule 11 of Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, "*.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effects on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
50. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the succeeding paras addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.
51. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury or is likely to suffer injury due to dumping. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.
52. Other interested parties have submitted that the injury suffered by the domestic industry has already been addressed by way of bilateral safeguard measures and the applicant cannot further allege injury due to dumping. It is noted that neither the bilateral safeguard rules under trade agreements nor the anti-dumping rules require duty reduction or dumping to be the sole cause of injury.
53. On the issue of examination of post period of investigation data, the Authority notes that post-POI examination is not conducted in original investigations unlike sunset review investigations. Further, post period of investigation in this case is marked by country- wide lockdown in India and globally due to Covid

pandemic and therefore performance during this period will not be representative in nature.

Volume effect of Dumped Imports on Domestic Industry

a. Assessment of Demand / Apparent Consumption

54. The demand or apparent consumption of the product in India is the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources.

S.No.	Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Sales of domestic industry	MT	2,23,200	2,35,591	2,37,924	2,28,046
2	Sales of other Indian producer	MT	24,000	6,000	-	-
3	Imports from subject countries	MT	49,579	89,250	91,020	1,35,564
4	Import from other countries	MT	42,472	41,189	53,640	38,891
5	Total Demand/ consumption	MT	3,39,251	3,72,030	3,82,583	4,02,500

55. The demand for the subject goods has increased consistently over the injury period.

b. Volume effect of dumped imports

56. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Factual position is as follows: -

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Subject countries	MT	49,579	89,250	91,020	1,35,564
A	China PR	MT	40	2,418	10,628	14,758
B	Indonesia	MT	8,470	25,144	16,492	21,530
C	Korea Rp	MT	33,766	41,664	49,081	86,466
D	Thailand	MT	7,303	20,024	14,819	12,810
2	Subject countries import in relation to					
A	Indian production	MT	2,96,561	2,89,491	2,75,492	2,69,640
B	Indian production	%	16.72%	30.83%	33.04%	50.28%
C	Demand	MT	3,39,251	3,72,030	3,82,583	4,02,500
D	Demand	%	14.61%	23.99%	23.79%	33.68%
E	Total imports	%	53.86%	68.42%	62.92%	77.71%

57. It is seen that the subject imports have increased significantly in absolute terms over the injury period and more sharply in the period of investigation. The imports have increased in relation to total imports, production and consumption in India. Further, imports show increase as compared to both base year and preceding year.

Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

58. With regard to the effect of the dumped on the prices of the domestic industry, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, cost of production, net sales realization (NSR) and non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject

goods from the subject country.

a. Price Undercutting

59. For the purpose of price undercutting analysis, net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the imports from the subject countries work out as follows:

S.No.	Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
2	Subject countries as a whole					
a	Landed Price	Rs/MT	60,910	67,060	76,017	63,423
b	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
c	Price Undercutting	%	***	***	***	***
d	Price Undercutting	Range	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
3	China PR					
a	Landed Price	Rs/MT	70,677	69,402	79,586	63,306
b	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
c	Price Undercutting	%	***	***	***	***
d	Price Undercutting	Range	(0-10)%	(0-10)%	(0-10)%	0-10%
4	Indonesia					
a	Landed Price	Rs/MT	58,846	67,489	76,718	63,099
b	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
c	Price Undercutting	%	***	***	***	***
d	Price Undercutting	Range	5-15%	0-10%	0-10%	0-10%
5	Korea RP					
a	Landed Price	Rs/MT	61,185	66,989	74,225	63,714
b	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
c	Price Undercutting	%	***	***	***	***
d	Price Undercutting	Range	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
6	Thailand					
a	Landed Price	Rs/MT	61,980	66,388	78,612	62,135
b	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
c	Price Undercutting	%	***	***	***	***
d	Price Undercutting	Range	0-10%	0-10%	(0-10)%	0-10%

60. Post- issuance of the disclosure statement, it was submitted by the domestic industry that the selling price being compared with landed value to determine price undercutting should not be at ex-factory level. It is noted that Authority has been consistently determining price undercutting by considering domestic industry selling prices at ex-factory level, and therefore, the calculations of the price undercutting have been revised by considering selling price at ex-factory levels. It is seen that the imports from subject countries as a whole are entering at a price below the domestic selling price of the domestic industry, resulting in positive price undercutting.

b. Price Suppression and Depression

61. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>117</i>	<i>113</i>
2	Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>119</i>	<i>101</i>
3	Landed Price	Rs/MT	60,910	67,060	76,017	63,423
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>125</i>	<i>104</i>

62. It is seen that both cost of sales of domestic industry and selling price have declined in the period of investigation. However, the decline in selling price is much higher than decline in the cost of sales. The period of investigation has also seen a decline in the landed price of subject imports. Therefore, the subject imports depressed the selling price of the domestic industry thereby preventing it from charging a reasonable price.

A F.3.3 Impact on economic parameters of the domestic industry

63. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are analyzed herein below.

a. Capacity, Production, Capacity utilization and sales.

64. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Capacity	MT	3,17,110	3,17,110	3,17,110	3,17,110
2	Production	MT	2,72,561	2,83,491	2,75,492	2,69,640
3	Capacity Utilisation	%	86%	89%	87%	85%
4	Domestic sales	%	2,23,200	2,35,591	2,37,924	2,28,046

65. It is noted that –
- The capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period.
 - The production and capacity utilization of the domestic industry has increased till 2017-18 but declined thereafter.
 - Domestic sales of the product under consideration have increased till 2018-19 but declined during the period of investigation.

b. Market share of the domestic industry in demand.

66. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Domestic industry	%	66%	63%	62%	57%
2	Other Producers	%	7%	2%	0%	0%
3	Subject Countries	%	15%	24%	24%	34%
4	Other Countries	%	13%	11%	14%	10%

67. It is seen that market share of the domestic industry has declined over the injury period whereas that of subject countries has increased.

c. Inventories

68. The Authority has considered average inventory level of the domestic industry over the injury period.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Average inventory	MT	5,904	3,564	3,429	4,934

69. It is seen that the average inventory level of the domestic industry has shown decreasing trend till 2018-19

and has increased thereafter in the period of investigation.

d. Profit or loss, cash profits and return on investment.

70. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>117</i>	<i>113</i>
2	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>119</i>	<i>101</i>
3	Profit / Loss	Rs/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>203</i>	<i>138</i>	<i>4</i>
4	Profit / Loss	Rs Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>215</i>	<i>147</i>	<i>4</i>
5	Cash profits	Rs Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>198</i>	<i>143</i>	<i>23</i>
6	Profit before interest & tax	Rs Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>197</i>	<i>139</i>	<i>15</i>
7	Return on capital employed	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>106</i>	<i>11</i>

71. It is seen that the domestic industry was earning good profits till the year preceding to POI. However, the profits of the domestic industry have declined sharply in the period of investigation. Resultantly, the cash profits and the return on investment have also been impacted.

e. Employment, wages and productivity

72. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was examined.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	No of employees	Nos	695	757	783	775
2	Salary & wages	₹ Lacs- Trend	100	121	127	130
3	Productivity per day	MT/Day	779	810	787	770
4	Productivity per employee	MT/Nos	392	374	352	348

73. It is seen that employment levels of domestic industry have fluctuated over the injury period and wages paid have increased over the injury period. The productivity per employee and per day increased in 2017-18 but declined thereafter with a decline in production.

f. Growth

74. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below –

S.No.	Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Production	Y/Y	-	4%	-3%	-2%
2	Capacity Utilization	Y/Y	-	4%	-3%	-2%
3	Domestic Sales	Y/Y	-	6%	1%	-4%
4	Profit/(Loss) per unit	Y/Y	-	103%	-32%	-97%
5	Inventory	Y/Y	-	-40%	-4%	44%
6	Market Share	Y/Y	-	-4%	-2%	-9%
7	Profit/(Loss) in Rs Lakhs	Y/Y	-	115%	-31%	-98%
8	Cash Profit in Rs Lakhs	Y/Y	-	98%	-28%	-84%
9	PBIT in Rs Lakhs	Y/Y	-	97%	-29%	-89%
10	ROI %	Y/Y	-	50%	-29%	-90%

75. It is seen that most of the performance parameters of the domestic industry show a negative growth in the

period of investigation.

g. Magnitude of dumping

76. It is seen that the dumping margin in the imports from the subject countries is not only positive but also significant,

h. Ability to raise fresh investment,

77. Considering performance of the domestic industry in the period of investigation, it is seen that the ability of the company to raise fresh investments is likely to be impaired.

i. Factors affecting domestic prices.

78. It is seen that the selling price of the domestic industry are affected as it is unable to earn adequate returns. Imports from subject countries is a factor affecting the domestic prices.

j. Observations on injury

79. Considering various parameters relating to material injury, it is seen overall performance of the domestic industry is below par. There is a sharp increase in the volume of dumped imports from the subject countries, in absolute terms and in relation to production and consumption in India. There is presence of depressing effect on the domestic selling prices. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. Performance of the domestic industry has deteriorated in respect of production, sales, market share, profits, cash profits and return on investment. The domestic industry has suffered injury.

H. CAUSAL LINK

80. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, the volume and price of imports not sold at dumped prices, trade restrictive prices of and competition between foreign and domestic producers, development in technology, contraction in demand or change in pattern of consumption, export performance and productivity of the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third country

81. It is seen that the volume of subject imports account for 78% of total imports in the period of investigation. Other than subject countries, there are significant exports from Taiwan and Russia. Authority has already examined Taiwan imports at stage of initiation and concluded that imports from Taiwan are not injurious. Imports from Russia was already attracting anti-dumping duty at the time the application was filed.

b. Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption

82. The demand of the subject goods has increased as compared to base year. The pattern of consumption with regard to product under consideration has not undergone any change. Thus, contraction in demand or change in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.

c. Development of Technology

83. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a possible factor of injury.

d. Trade restrictive practices

84. The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry.

e. Export performance

85. The applicants have contended that it has been forced to undertake exports due to dumped imports in the domestic market. The applicants contended that the exports made by the domestic industry – both in terms of volume and price – should be considered a result of dumping in the country. It is seen that export sales of the domestic industry have increased sharply in the period of investigation and profitability in exports was far less as compared to domestic sales. The domestic industry has suffered financial losses in exports. While the Authority has relied on segregated data for domestic and export operations, to the extent the same could be,

for the purpose of injury analysis of the domestic industry, the fact that the domestic industry was forced to export at significantly low and unremunerated prices is a reflection of adverse impact of imports on the domestic industry. Further, since export volumes and profits have been segregated, possible decline in export performance is not a cause of the injury suffered by the domestic industry.

f. Performance of other products

86. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicants are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

I. INJURY MARGIN

87. The injury margin has been evaluated by comparing the non-injurious price with the landed price of the subject imports for all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is shown in the table below:

S.No.	Particulars	NIP (USD/MT)	Landed value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (%Range)
1	China PR					
a	Any	***	***	***	***	0-10
2	Indonesia					
a	Petrowidada	***	***	***	***	0-10
b	Any other	***	***	***	***	10-20
3	Korea RP					
a	Aekyung Petrochemical	***	***	***	***	0-10
b	Hanwha Solution Corporation	***	***	***	***	0-10
c	Any other	***	***	***	***	10-20
4	Thailand					
a	Continental Petrochemicals Co Limited	***	***	***	***	0-10
b	Any other	***	***	***	***	10-20

J. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS AND EXAMINATION THEREOF

88. The Authority invited comments from all interested parties on the disclosure statement issued on 7th May, 2021 disclosing essential facts of the case. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under.

J.1 Submissions by other interested parties

89. The submissions of other interested parties on the disclosure statement are reproduced herein below:
- Imports are essential to meet the Indian demand for subject goods and the users have shifted to Indian PAN.
 - Duty will only lead to profiteering and cartelization by Indian producers who are earning supernormal profits and will lead to closure of Phthalate Plasticizer industry down the line and leading to loss of employment.
 - For protecting few manufacturers of PAN, which is already protected by various other measures, domestic manufactures of Phthalate plasticizers should not be made to suffer. Purpose of duty is not to cause injury to user industry by providing monopoly to producing industry.

- d. The post POI performance of the applicants shows a paradigm shift in their performance which suggests that no duty is warranted in the present case.
- e. The Disclosure fails to reflect on extensive submissions relating to post period of investigation data of the application.
- f. PAN prices have increased in the recent past and prices are destined for further increases in the time to come. Prices from April 2020 to March 2021 have increased by almost 100%. Any further imposition of duty will lead to cascading effect on the downstream industry.
- g. Since safeguard duty is recommended and imposed after examining all the factors which were causing injury to the domestic industry, anti-dumping duty investigation was not warranted.
- h. Inappropriate protection measures not only protect the domestic industry but may damage its long-term and fundamental interest. It may make the domestic industry reluctant to improve the production technology and efficiency.
- i. The domestic industry has already got imports covered under BIS and imposition of anti-dumping duty will block exports from subject countries.
- j. DGTR has allowed 22% return on Capital Employed, which is highly inflated and not in accordance with the Law. European Union determines reasonable return based on ROCE earned by the industry when there was no allegation of dumping or subsidy.
- k. DGTR is giving undue protection to the domestic industry by applying 22% return on capital employed and same is reflected in various rulings of CESTAT such as Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. Designated Authority, Hyosung Corporation vs. Designated Authority.
- l. PT. Petrowidada, Indonesia, has sold subject goods to India through a related party PT. Petronika. Authority has made adjustment of its own to arrive at losses for PT. Petronika. As per Appedix-5 of PT. Petronika, Indonesia, company has made profits in sale of product under consideration, therefore, no adjustment is required.
- m. Amount of duty recommended by DGTR and imposed by Central Government cannot be greater than what is required to remove the injury to the Domestic Industry.
- n. Domestic industry doesn't produce product under consideration with raw material Naphthalene therefore Naphthalene based PAN should be kept outside the scope of investigation.
- o. There is no evidence of any significant capacity enhancement elsewhere which might evidence an impending influx of imports into India.
- p. Domestic industry has not provided data as per flakes & molten form in their NCV.
- q. Imposition of duty on a fixed basis is unjustified, unfair and unduly burdensome. Duty can be imposed on the basis of either a fixed quota or in the alternative, on the margin of the injury.
- r. Affixing duty on a 'trigger price' or 'variable basis' shall ensure that the domestic industry does not extract any unfair gain.
- s. Majority of the end-users are SME and MSME companies which import for intermediary applications. Main application of subject goods is in manufacture of polyester resins which goes into wide number of industries and hence, the level of impact on the entire economy will be significantly higher and widespread,

J.2 Submissions by domestic industry

90. The submissions of domestic industry on the disclosure statement are as under:
 - a. Scope of product under consideration cannot be restricted on the basis of raw material used unless it leads to a different product and the resultant product is so different that the product produced and supplied cannot be interchanged with this product.
 - b. Phthalic Anhydride made from Naphthalene contains impurities like Naphthoquinones which are suspected as cancer causing compounds and any product which uses Phthalic Anhydride from it will be a potential health hazard.
 - c. Domestic industry is not using Naphthalene as a raw material for production of Phthalic Anhydride due to the toxicity levels involved in the production process. Same is discouraged globally. BIS in India discourages imports of Naphthalene based Phthalic Anhydride.
 - d. Adjustment of packing expense in the normal value calculation of PT Petrowidada, Hanwha Solutions Corporation, and Aekyung Petrochemical Co. Ltd., is inappropriate as no secondary

- packing is required for sale in the domestic market and even in the case of exports also, the packaging is same.
- e. PT Petrowidada has claimed no adjustment for ocean freight, marine insurance, inland freight, inland insurance, bank charges, commission, and port and other handling charges.
 - f. In case of Continental Petrochemicals (Thailand) Co., Ltd., expenses such as bank charges, and port and other handling charges have not been claimed by the respondent. These expenses form important part of an export transaction.
 - g. Purpose of NIP is to determine price of imports at which the domestic industry will not suffer injury. Thus, the relevant comparison is only between NIP and landed price of imports.
 - h. The price undercutting should be determined considering gross selling price, as this is the price at which the domestic industry competes with imports. The price undercutting should not be determined at ex-factory levels. Further, Authority has ignored freight in calculating the injury margin.
 - i. While the comparison is inappropriate, the net selling price realised by the domestic industry is lower than the non-injurious price.
 - j. Only two users have participated in the present investigation for a product which has significant demand in India. If there was any adverse impact of duties, there would have been a higher representation.
 - k. Had there been any adverse impact of duties, there would have been shutdowns in the user industry.
 - l. Domestic industry is making significant capital investments seeing the increasing demand in India. For the producers to be able to run these new capacity expansions, it is necessary that adequate measures are imposed to ensure fair competition.
 - m. User industry has grown in past one decade. Their financial statements will show that their profits have increased in spite of the fact that there has been duty imposed in the past.
 - n. The users have grown over the years, which shows that the duties have not had any adverse impact.
 - o. End use of products manufactured from Phthalic Anhydride find their usage in areas of daily human interaction such as children's toys (including Sucking Toys), Blood bags, Water hose, Car seats, Home paints. It is utmost necessary in larger public interests that dumped imports of goods from Naphthalene is discouraged.
 - p. China is the only producer in the world of Phthalic Anhydride that uses Naphthalene as a raw material. Majority of the production gets exported to countries such as India, Vietnam, Brazil, Myanmar and other South African countries whereas most of the large MNC users established in European and North American countries do not import from China.
 - q. Chinese producers are forced to export it at lowest prices. Import price of Chinese Phthalic Anhydride are usually lowest. Importers are importing from China only due to the distress prices.
 - r. Government has repeatedly found that imposition of antidumping duty or safeguard duty in respect of this product is not against public interest.
 - s. Anti-dumping duty is redressal of unfair price discrimination by the producers in other countries, which is injurious to the industry in India. It is not a protection to the industry, rather a means of addressing unfair pricing.
 - t. There are three producers in India and imports are happening from multiple sources and there is going to be another fresh entrant in the market. There is enough inter-se competition and the domestic industry will have to keep a check on its prices.
 - u. Government of India has been promoting the Make in India campaign and the ideology of AtmaNirbharBhart, but the Indian Phthalic Anhydride industry user industry is heavily resorting to imports.

J.3 Examination by Authority

91. The purpose of the present investigations is not to ban the imports of the product. The imports can continue to be made, albeit at undumped prices. Therefore, the consumers would be able to source the material even after imposition of antidumping duty. and some demand-supply gap does not imply that the consumers would be deprived of material. it is also noted that the domestic producers can meet 75-85% of Indian demand at full capacity. Further, the domestic industry submitted that the capacities are being enhanced in India to take care of present and potential demand for the product in the country.
92. The Authority notes that the apprehension of other interested parties that duty quantum can exceed

injury margin is misplaced. It is noted that the recommended duty quantum cannot exceed the injury margin determined by the Authority on account of application of lesser-duty-rule, whereby the duty amount is to be restricted to lesser of dumping and injury margin.

93. As regards existence of other measures, it is noted that the product under consideration is not attracting any trade remedy measure on imports from any subject country of this investigation except Korea RP. The Authority notes that while making recommendation to the central government due care will be taken to ensure that any possibility of double jeopardy is ruled out.
94. On the submissions made by other interested parties that for the computation of non-injurious price (NIP), DGTR has allowed 22% return on Capital Employed, which is highly inflated and not in accordance with the law, it is noted that Annexure III of AD Rules refers to reasonable return (pre-tax) on the capital employed and 22% return on capital employed has been allowed by the Authority in all investigations as per the consistent practice followed by the Authority and there is no compelling reason to deviate from the same in this particular investigation.
95. On the submission of the users that the domestic industry is being granted unwarranted protection, it is noted anti-dumping duty is not a protection but just a means to ensure fair competition in the market. The response filed by the producers shows that they have resorted to dumping in the Indian market. The duties are levied to address dumping which has caused injury to the domestic industry.
96. On the methodology adopted by the Authority for computation of normal value and ex-factory price, the Authority notes normal value and export price have been determined in accordance with Rules and consistent practice and even adjustment of loss in respect of Petronika is proper and is as per the consistent practice of the Authority. The adjustment done by the Authority is based on the information provided by the company.
97. With regard to the submission of the domestic industry on comparison between non-injurious price and net sales realization of the domestic industry, it is noted that Authority has been consistently determining price undercutting by considering domestic industry selling prices at ex-factory level, and therefore, the calculations of the price undercutting have been revised by considering selling price at ex-factory levels.
98. On request for exclusion of Naphthalene based subject goods, the Authority notes that the product under consideration is not defined based on the raw material consumed. PAN produced from both the raw materials is within the scope of the product under consideration.
99. On the submission that there have been no capacity expansions in the subject countries, it is seen that the same is not relevant for the purpose of examination of material injury suffered by the domestic industry.
100. On the submission on dual remedy, the Authority has taken note of the submissions of the interested parties and has made recommendations accordingly.
101. Issues raised by other interested parties with regard to examination for post-POI period and redressal of injury through bilateral safeguard measure have already been addressed in the findings above. It is reiterated that the Authority does not examine injury parameters pertaining to post POI in an original investigation. Further, it would not be appropriate to selectively examine post POI data in a particular original investigation. Consideration of facts for the post POI period would amount to undermining the sanctity of the concept of POI in an investigation. However, any interested party can always seek review of proposed duties, in case such changes in the post POI period are found to be of lasting nature.
102. On the submission that duties can be in the form of trigger price or variable basis, the Authority considers that it is appropriate to recommend fixed form of duty in the facts and circumstances of the present case. In any case, the duty is being restricted to the lower of dumping margin and injury margin.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND PUBLIC INTEREST

103. Authority considered whether imposition of duty will have any adverse impact on the public interest. For this, the Authority has considered information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and users of the product.

104. The Authority notes that the purpose of ADD, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers
105. Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information with regard to present investigation, including possible effect of anti-dumping duty on their operations. It is noted that none of the users have provided relevant information. Barring two users, no user has participated in the present investigation. The interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. The product under consideration was attracting anti-dumping duty earlier from some sources. . No evidence has been provided by the user to show that the duties imposed in past have had any adverse impact on the users or the consumers at large. Domestic industry has also contended that the import of subject goods made from Naphthalene route is not in public interest considering its wider adverse impact on the public at large. The imposition of anti-dumping duties will also discourage the import of low-priced subject goods produced from Naphthalene. The capacities with the domestic producers are sufficient to meet about 79% of Indian demand (including demand being met through duty free imports). It is also seen that product is produced in number of countries and the present application is limited to only few sources. Imports in significant quantities have happened from other countries such as Taiwan, Russia etc on which no duty is proposed to be levied. Even the domestic industry has made significant capital investment and expanded its capacity in the recent period. From the information on record, it is seen that one of the users is also setting up a fresh capacity in India. Therefore, the dependence of users on imports will also get reduced.
106. It is recognized that the imposition of ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly when the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
107. Imposition of duties will be in interest of the domestic industry which has suffered injury due to dumped imports. The duties will ensure that domestic industry can compete in the market and will ensure wider availability of options to the users which will be in large public interest.
108. The Authority thus concludes that the anti-dumping duties will not be against the public interest at large.

L. CONCLUSION

109. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping and consequent injury to the domestic industry made hereinabove, the Authority concludes that:
 - a. The product under consideration has been exported at a price below normal value, thus resulting in dumping.

- b. The domestic industry has suffered material injury.
 - c. There is causal link between dumping of product under consideration and injury to the domestic industry.
110. Factors such as no quantification of adverse impact of duties by the interested parties, significant capacity expansions in the country which will ensure no demand and supply gap, inter-se competition between Indian producers, and absence of any evidence of adverse impact of anti-dumping duties imposed in the past on the subject goods reasonably demonstrates that imposition of duties will not be against public interest.

M. RECOMMENDATIONS

111. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link thereof in terms of Rules and having established positive dumping margin as well material injury to the domestic industry caused by dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.
112. In view of above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1) (b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 7 of the table below on all imports of goods described in Column 3 of the duty table originating in or exported from China PR, Indonesia, Korea RP and Thailand from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.
113. In view of above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1) (b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 7 of the table below on all imports of goods described in Column 3 of the duty table originating in or exported from China PR, Indonesia and Thailand from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. However, on all imports of goods described in Column 3 of the duty table originating in or exported from Korea RP, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equivalent to the difference between the quantum of antidumping duty indicated in Column 7 of the table below, and duty payable in accordance with notification no. 44/2020-Cus, dated 18th December, 2020, if any, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.
114. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

S.No.	Heading/ Subheading	Description of subject goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29173500	Phthalic Anhydride	China PR	Any country including China PR	Any	40.08	MT	US\$
2	29173500	Phthalic Anhydride	Any country other than Indonesia, Korea RP and Thailand	China PR	Any	40.08	MT	US\$

3	29173500	Phthalic Anhydride	Indonesia	Any country including Indonesia	P.T. Petrowidada	59.83	MT	US\$
4	29173500	Phthalic Anhydride	Indonesia	Any country including Indonesia	Any other	90.11	MT	US\$
5	29173500	Phthalic Anhydride	Any country other than China PR, Korea RP and Thailand	Indonesia	Any	90.11	MT	US\$
6	29173500	Phthalic Anhydride	Korea RP	Any country including Korea RP	Aekyung Petrochemical	41.26	MT	US\$
7	29173500	Phthalic Anhydride	Korea RP	Any country including Korea RP	Hanwha Solution Corporation	41.64	MT	US\$
8	29173500	Phthalic Anhydride	Korea RP	Any country including Korea RP	Any other	140.17	MT	US\$
9	29173500	Phthalic Anhydride	Any country other than China PR, Indonesia and Thailand	Korea RP	Any	140.17	MT	US\$
10	29173500	Phthalic Anhydride	Thailand	Any country including Thailand	Continental Petrochemicals Co Limited	63.06	MT	US\$
11	29173500	Phthalic Anhydride	Thailand	Any country including Thailand	Any other	134.91	MT	US\$
12	29173500	Phthalic Anhydride	Any country other than China PR, Korea RP and Indonesia	Thailand	Any	134.91	MT	US\$

N. **FURTHER PROCEDURE**

115. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority